



केंद्रीय कृषि विकास संस्थान





‘ विकसित राष्ट्र निर्माण लक्ष्य -2047 ’



सौजन्य से : -

बुलेटिन्स ऑफ इंडिया

प्रस्तावना

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान विकसित राष्ट्र स्थापना उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय अथवा वैश्विक पटल पर कार्यरत भारत राष्ट्र की प्रतिनिधित्वता युक्त केंद्र स्तरीय स्वायत्ता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम के रूप में भारत राष्ट्र की प्रतिनिधित्वता युक्त केन्द्रीय एजेंसी के रूप में कार्यरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा सशक्त युवा-सशक्त कृषक द्वारा सशक्त राष्ट्र एवं सशक्त राष्ट्र द्वारा विकसित भारत हेतु संस्थागत योजनाओं में शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम उद्देश्यों हेतु भारत राष्ट्र के भारतीय शिक्षित युवाओं के विभिन्न उच्च,प्राविधिक, माध्यमिक,तकनीकी आदि शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक संस्थानों के अध्ययनरत छात्र,छात्राओं हेतु संस्थागत रोजगार एवं स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम में नई शिक्षा नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन करते हुए केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाए/परियोजना/परियोजनाएं/नीति/नीतियों आदि के सफल अथवा कुशल संचालन हेतु भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु योग्य/कुशल/तकनीकी दक्षता युक्त/लालचविहीन सेवकों के सृजन हेतु तत्सम्बन्धी अथवा योजना आदि सम्बंधित विषयों में दक्षता एवं उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्णयक्षमता युक्त सेवक सृजन हेतु प्रथम अंश वैश्विक एवं द्वितीय राष्ट्रीय स्तरीय सेवाओं का शिक्षार्थ से सीधे सेवार्थ की परिकल्पना माध्यम से रोजगार के सार्थक परिणाम के साथ भारतीय शिक्षित युवाओं की सहभागिता की कार्ययोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित की है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा भारतीय कृषकों के स्व-अंश जागरूकता परिणाम हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय कृषकों के स्व-उन्नयन अथवा स्व-सशक्तीकरण परिणाम हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन की परिकल्पना सहित कार्ययोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

प्रस्तावना...

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में संस्थागत रोजगार अथवा स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत भारतीय युवाओं हेतु संचालित हो रहे हैं।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

1. कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाए जानें हेतु श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए).....आदि कार्यक्रम/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

2. ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराएं जानें हेतु श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) .....आदि कार्यक्रम/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

3. ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना एवं श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) .....आदि कार्यक्रम/ परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

4. पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गौ-धन की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गौधन/अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाए जानें हेतु श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) .....आदि कार्यक्रम/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

5. दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/कराना यथा दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करने/कराए जानें हेतु श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/ भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी को शामिल करते हुए मैत्रेय राष्ट्र नेपाल के शिक्षित आदि बेरोजगारों को संस्थागत सुरक्षा विभागों अथवा प्रभागों में वरीयता प्रदान करते हुए नेपाली भाषा सहित वैश्विक स्तर पर @65 राष्ट्रों के अन्य भाषाओं को शामिल कर शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

6. पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना यथा समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करने/कराए जानें हेतु श्रृंखलात्मक मानव संसाधन विकास हेतु संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि कार्यक्रम/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि सहयोगी संगठन/समूह/संस्था आदि द्वारा नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, साहित्यिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय, सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आदि हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं, स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित है,

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के मूल उद्धयेश्यों में नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आच्छादन.

विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय कृषि विकास संस्थान संचालित द्वारा केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अपने निम्न मूल उद्धयेश्यों हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में बैंकिंग/बीमा/ निवेश आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित (अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत योजना/परियोजना आदि क्रियान्वयन प्रस्ताव.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

कृषक आत्महत्या रोकथाम कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय-वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत संस्थागत प्रस्तावित विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों अथवा विद्यालयों में विशेष संकाय युक्त विशेष कक्षाओं की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के .....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से केंद्रीय कृषि विकास संसथान के कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त ग्राम सभावार अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक वर्ग आदि को सशक्त कृषक,सशक्त जन- सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक वर्ग से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में सहयोगी अनुशासित,संस्कार युक्त,प्रशिक्षित सशक्त कृषक आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम कृषक सृजन पर प्राप्त परिणाम यथा भारतीय परम्परागत ब्यवस्था जिसके माध्यम से लगभग सतासी प्रतिशत पूर्ण ईमानदार राष्ट्र प्रेम से ओत-प्रोत जन अथवा कृषकों पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

ग्रामीण पलायन रोकथाम कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में ग्रामीण अध्ययन/विपणन/कृषि बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष ग्रामीण अध्ययन/विपणन/कृषि बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन /मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण पलायन को बेहद न्यूनतम स्तर पर पहुँचाना/ग्रामीण व्यवसाय को दुग्ध एवं कृषि उत्पाद एवं अन्य माध्यम से विकसित कराना आदि।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त ग्रामीण पलायन के रोकथाम हेतु ग्राम सभावार अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक अथवा जन वर्ग आदि को सशक्त कृषक,सशक्त जन- सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभावार विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं यथा ग्रामीण स्वरोजगार सृजन अथवा निर्माण,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था सृजन अथवा निर्माण आदि के माध्यम से कृषि कार्यों से मोहभंग युक्त अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक वर्ग से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में सहयोगी अनुशासित,संस्कार युक्त,प्रशिक्षित सशक्त कृषक आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम कृषक सृजन पर ग्रामीण पलायन का एक निश्चित सीमा से अधिक पलायन के रोकथाम पर प्राप्त परिणाम यथा भारतीय परम्परागत ब्यवस्था जिसके माध्यम से लगभग सतासी प्रतिशत पूर्ण ईमानदार राष्ट्र प्रथम विकल्प के सकारात्मक स्वरुप युक्त भारतीय जन अथवा कृषक निर्माण पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के उर्वरा शक्ति संरक्षण आदि कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में मृदा-संरक्षण अथवा संवर्द्धन/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार/कृषि-बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन /मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष मृदा-संरक्षण अथवा संवर्द्धन/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार/कृषि-बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन /मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा ग्रामीण रोजगार/ग्राम्य विकास/ग्रामीण कृषि/कृषि उद्योग/कृषि विकास/कृषि शोध,परीक्षण,मृदा संरक्षण,जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में विकसित कराने हेतु कृषकों को विभिन्न प्रशिक्षण के माध्यम से जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि को बढ़ावा दिलाना ।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त जैविक/वैज्ञानिक/अन्य कृषि माध्यमों से ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाना एवं कृषि को व्यवसाय के रुप में ग्राम सभावार अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक अथवा जन वर्ग आदि को सशक्त कृषक,सशक्त जन- सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभावार विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं यथा ग्रामीण अंचल के कृषि योग्य भूमि की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने से बचाए जानें सहित कृषि को व्यवसाय के रुप में प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के पशुधन आदि कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/ विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में पशुधन संरक्षण-संवर्धन-विकास/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार में पशुधन समन्वयन आदि/पशुधन बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष पशुधन संरक्षण-संवर्धन-विकास/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार में पशुधन समन्वयन आदि/पशुधन बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

अध्ययन/ग्रामीण-ब्यवसाय/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक (प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/ संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/ नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति को मजबूती प्रदान करना। ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गायों/ अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम को बढ़ावा दिलाना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/ परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति पर ग्राम सभावार अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक अथवा जन वर्ग आदि को सशक्त कृषक,सशक्त जन- सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभावार विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं यथा ग्रामीण अंचल में पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति के क्रम में दुग्ध एवं कृषि नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गौवंश/अन्य से दुग्ध उत्पादन एवं अन्य पशुधन विकास कार्यक्रम पर प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/कराना।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के दुग्ध विकास आदि कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल व्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज व्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में दुग्ध विकास/दुग्ध शोध-संरक्षण-विकास/पशुधन संरक्षण-संवर्धन-विकास/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार में पशुधन समन्वयन आदि/पशुधन बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-शहरी दुग्ध व्यवसाय हेतु बाज़ार व्यवस्था/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष दुग्ध विकास/दुग्ध शोध-संरक्षण-विकास/पशुधन संरक्षण-संवर्धन-विकास/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार में पशुधन समन्वयन आदि/पशुधन बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-शहरी दुग्ध व्यवसाय हेतु बाज़ार व्यवस्था/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/ कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/ कराना।

अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित @65 राष्ट्रों सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए आदि उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम/ योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित किया गया है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/ कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/ कराना।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/ नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/ कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/ कराना।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/ संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/ सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/ कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/ कराना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/ संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/ सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति के सिद्धान्तानुसार विकसित करना/ कराना| दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण को विकसित करना/ कराना।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त दुग्ध एवं कृषि उत्पाद विकास प्रसंस्करण के तहत दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार ग्राम सभावार अति अल्प आय आदि युक्त सीमान्त अथवा मध्यम ऋणी सहित अन्य कृषक अथवा जन वर्ग आदि को सशक्त कृषक,सशक्त जन- सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम सभावार विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं यथा ग्रामीण अंचल में पशुधन विकास कार्यक्रम/नीति के क्रम में दुग्ध एवं कृषि नीति के तहत ग्रामीण स्तर पर पशुओं (देशी नस्ल)/गायों की उपयोगिता को बढ़ाने के साथ-साथ पशुओं/गौवंश/अन्य से दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग-पूर्ति सिद्धान्तानुसार प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के पर्यावरण आदि कार्यक्रम प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा कृषकों को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले समस्त कारक को समाप्त करना/कराना अथवा कृषक आत्महत्या के मुख्य कारक बैंकों से होने वाली ऋण समस्याओं को न्यूनतम स्तर पर पहुंचाना आदि हेतु केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश आदि प्रस्ताव में पर्यावरणीय शोध/पर्यावरणीय अभियांत्रिकी-यांत्रिकी शोध-समन्वयन एवं विकास-विपणन आदि/पर्यावरणीय समन्वयन आदि/दुग्ध अथवा कृषि अथवा अन्य सम्बंधित शोध-संरक्षण-विकास/पशुधन संरक्षण-संवर्धन-विकास/ग्रामीण कृषि अध्ययन/कृषि विपणन एवं व्यापार में पशुधन समन्वयन आदि/पशुधन बीमा/सामान्य-बीमा/सामान्य-निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण-शहरी दुग्ध ब्यवसाय हेतु बाज़ार ब्यवस्था/मनोवृत्ति अध्ययन/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष कार्बन उत्सर्जन,संरक्षण,पर्यावरणीय ब्यवस्था सुधार आदि से.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक (प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित @65 राष्ट्रों सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए आदि उच्च गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम/योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण व्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त व्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

उक्तानुक्रम में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

पर्यावरण को कृषि कटाई के उपरान्त पुआल इत्यादि को जलाने से उत्पन्न कार्बन से होने वाली क्षति/अन्य से बचाया जाना। समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी, आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं को बल प्रदान करना/कराना ।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त समयानुसार/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर कृषकों को तकनीकी,आर्थिक कृषि एवं अन्य कृषक हितकारी योजनाओं के माध्यम से पर्यावरण को विभिन्न माध्यमों से ग्राम सभावार कृषक अथवा जन वर्ग आदि को ग्राम सभावार विभिन्न कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं यथा ग्रामीण अंचल पर्यावरण संरक्षण आदि कार्यक्रम अथवा परियोजना के क्रम में प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

कार्यक्रम विशेष.

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

01. माननीय प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार के नेतृत्व में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा मण्डल स्तरीय शासकीय औद्योगिक (बृहद,उच्च, मध्यम, लघु, सूक्ष्म/अन्य) इकाइयों का ग्रामीण स्तर पर निर्माण कराते हुए संस्थागत प्रावधानित न्याय पंचायत/जनपद/अन्य यथा ग्रामीण स्तरीय पंजीकृत कृषक अथवा अन्य सदस्य प्रतिनिधियों आदि को शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति के अंतर्गत सीमान्त/लघु/मध्यम अति निर्धन/निर्धन(बैंक टर्न ओवर पर आधारित) कृषक वर्ग अथवा गैर निष्पादित किसान क्रेडिट कार्ड अस्ति युक्त कृषक वर्ग अथवा उच्च कृषक वर्ग अथवा भूमिहीन जनों हेतु यथा भारत राष्ट्र के @3.5 करोड़(लगभग तीन करोड़ पचास लाख) सीधे लाभ सुनिश्चित कराया जाना प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के में शासकीय औद्योगिक (उच्च, मध्यम, लघु, सूक्ष्म/अन्य) इकाई सृजन,निर्माण,क्रियान्वयन आदि कार्यक्रम विशेष प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल व्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में औद्योगिक (बृहद,उच्च, मध्यम, लघु, सूक्ष्म/अन्य) इकाइयों आदि से सम्बंधित प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र स्थापना हेतु वास्तविक सार्थक गतिशील उत्तरोत्तर/सकारात्मक विकास युक्त परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/ग्रामीण सामाजिक परिवेश आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष कृषि बैंकिंग/कृषि इंश्योरेंस/सामान्य जन निवेश आदि अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/ग्रामीण सामाजिक परिवेश आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त व्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत कार्यक्रम विशेष में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

02.केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा औषधीय कृषि उत्पाद योजना के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्ध कराते हुए योजना का लाभ प्रविधानित होगा। जिसके अंतर्गत प्रति बीघे प्रति कृषक को @20000 (बीस हज़ार) रुपये प्रति बीघे प्रति कृषक को शाखीय कार्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के औषधीय कृषि उत्पाद आदि योजना/परियोजना/कार्यक्रम विशेष प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम यथा औषधि,औषधि निर्माण,पंचकर्म,शल्य कर्म पद्धति एवं चिकित्सा,भारतीय मूल पारम्परिक शिक्षा पद्धति,नाड़ी ज्ञान आदि शिक्षा पद्धति आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों अथवा अन्य औद्योगिक इकाइयों के साथ अथवा सम्यक विचारोपरांत अन्य स्थानों पर संस्थागत नई शिक्षा नीति के क्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष आदि आयुष आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च गुणवत्ता युक्त शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत कार्यक्रम विशेष में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

03. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कृषक प्रतिनिधियों की ग्रामीण स्तर पर मानदेय पर सीधी भर्ती अथवा नियुक्ति करते हुए पंजीकृत कृषकों के कृषि कच्चा/अन्य माल की न्यूनतम/अन्य समर्थन मूल्य पर खरीददारी की व्यवस्था यथा खरीददारी पर्यंत @12 से @32 घंटे में धनराशि आदि का डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से ऑनलाइन अंतरण सुनिश्चित किया जाएगा ।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के एक जनपद एक उत्पाद योजना आदि कार्यक्रम विशेष प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि युक्त आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों आदि अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/ग्रामीण सामाजिक परिवेश आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/राष्ट्र/ग्रामीण/पर्यावरण/सामाजिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत कार्यक्रम विशेष में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

04. केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष से विगत छः वित्तीय वर्ष तक केन्द्र/राज्य स्तरीय अथवा संस्थागत स्वीकृत यथा माननीय प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा अपेक्षित ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत @33 माह पर्यन्त कर्तव्यनिष्ठा/सत्यनिष्ठा का भौतिक प्रमाणन/कार्यप्रदर्शन नियमावली जो भारत राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विकसित राष्ट्र स्थापना हेतु सहयोगी होगा अथवा भ्रष्टाचार रहित शासकीय सेवक/सेवा निर्माण अथवा भौतिक स्वरुप अथवा ब्यवस्था में प्रतिबिम्बित योग्यता युक्त @1.5 लाख(एक लाख पचास हज़ार) शासकीय नौकरियाँ प्रदत्त की जायेंगी,आदि में कक्षा बारहवीं/स्नातक/परास्नातक आदि के मुख्य विषय सहित अन्य विषयों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नई शिक्षा नीति के तहत प्रस्तावित प्रबन्धन/प्रशासन शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि प्रक्रिया में अवसर प्रदान होगा,आदि में वाणिज्यिक/अर्थशास्त्र/प्रबन्धन/कामर्स के मुख्य विषय सहित अन्य विषयों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को नई शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक प्रस्तावित प्रबन्धन/ प्रशासन प्रक्रिया में अवसर प्रदान होगा ।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के श्रम एवं रोजगार आदि कार्यक्रम विशेष प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों आदि अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/ग्रामीण सामाजिक परिवेश आदि से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित बृहद इकाइयों के सापेक्ष नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन/ग्राम्य विकास/राष्ट्र/ग्रामीण/पर्यावरण/सामाजिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

उक्त कार्यक्रम विशेष के समस्त सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत कार्यक्रम विशेष में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/ राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/ योजनाएं/परियोजना/ परियोजनाओं/नीति

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

A-: संस्थागत शासकीय औद्योगिक इकाई निर्माण अथवा शासकीय ढांचागत विकास हेतु ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/ परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

B-: लघु/सीमान्त/मध्यम अति अल्प आय कृषक वर्गों के गैर निष्पादित के.सी.सी. अस्तियों को संस्थागत योजनाओं में शामिल किए जानें हेतु ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के में संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

C-: लघु/सीमान्त/मध्यम अति अल्प आय कृषक (बैंक टर्न ओवर पर आधारित) अथवा भूमिहीन जनों को संस्थागत योजनाओं में शामिल कर उनके सामाजिक/आर्थिक सुरक्षा प्रदान कराने में सहयोग प्रदान कराए जानें हेतु ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

D–: कृषि एवं सम्बद्ध खाद्य उत्पादों की न्यूनतम समर्थन आदि मूल्यों पर खरीददारी एवं कृषकों हेतु कृषि कार्यों में उपयोगार्थ आवश्यक वस्तु हेतु न्याय पंचायत आदि स्तरीय आर्टिफिशल इंटेलीजेन्स युक्त बाज़ार हेतु आदि ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज व्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज व्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की व्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित व्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

D–: कृषि एवं सम्बद्ध खाद्य उत्पादों की न्यूनतम समर्थन आदि मूल्यों पर खरीददारी एवं कृषकों हेतु कृषि कार्यों में उपयोगार्थ आवश्यक वस्तु हेतु न्याय पंचायत आदि स्तरीय आर्टिफिशल इंटेलीजेन्स युक्त बाज़ार हेतु आदि ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

E-: अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरुप अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्राकृतिक स्वरुप युक्त भारत राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करना-पर्यावरणीय सुरक्षा योगदान हेतु ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

F-: कृषि कच्चा माल उत्पाद की विभिन्न माध्यमों के क्षति पर सम्पूर्ण विराम-कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रत्यक्ष शासकीय नौकरियों का सृजन अथवा कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में अथवा कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष स्वरोजगार एवं रोजगार का ग्रामीण अंचल में सृजन हेतु ब्यवस्था प्रावधानित/प्रस्तावित है जिसमें केन्द्र अथवा राज्य स्तरीय आदि के बजट अथवा अन्य के अतिरिक्त ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत घरेलू/विदेशी निवेश माध्यमों से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं को प्रावधानित/प्रस्तावित है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय संस्थागत कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि में रोजगार अथवा स्वरोजगार हेतु आधार आधारित मूल ब्यवस्थान्तर्गत प्रायोगिक/भौतिक आदि सहित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय/ प्रक्षेत्रीय आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना से सम्बंधित शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत राष्ट्र के मण्डल स्तरीय प्रस्तावित नई शिक्षा नीति के तहत केंद्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं/परियोजनाओं आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय आदि अथवा उक्त संस्थागत विशिष्टीकरण प्रस्तरीय आदि से सम्बंधित कक्षाओं आदि हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत प्रशासनिक/प्रबन्धकीय आदि विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों/अध्ययन केंद्रों/प्रशिक्षण केंद्रों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि योजनाएं/परियोजनाएं आदि प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/ नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संस्थागत संस्थागत विशिष्टीकरण में वर्णित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

G-:मुद्रा लोच्यता अथवा मुद्रास्फीति को विभिन्न माध्यमों यथा घरेलू/विदेशी बाज़ार ब्यवस्था आदि माध्यम से न्यूनतम किये जानें आदि योजनाओं पर कार्य सुनिश्चित किये जाने आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों के मण्डल स्तरीय एक जनपद एक उत्पाद आदि में आच्छादित कृषि आदि कच्चा माल आदि उत्पाद के प्रसंस्करण आदि बृहद शासकीय औद्योगिक लगभग @83 मसीनरी आदि युक्त इकाइयों के निर्माण आदि के प्रस्तावित संरचना में वेतन/मानदेय/विभिन्न दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक प्राप्ति अथवा आहरण अथवा वितरण होना विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

H-:संस्थागत प्रस्तावित/स्वीकृत @3.5 करोड़ लघु/सीमान्त/मध्यम निर्धन/अतिनिर्धन (बैंक टर्न ओवर पर आधारित) अज्ञानतावश मुफ्तखोरी आदि लालच युक्त अथवा फसा हुआ किन्तु ब्यसन रहित ऊर्जावान कृषक वर्ग को केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों एवं संस्थागत योजनाओं/परियोजनाओं अथवा संयुक्त योजनाओं/परियोजनाओं का समयानुकूलीय/भौगोलिकीय परिवर्तनों के क्रम में नान एन.पी.ए.कृषक बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के क्रम में सूचीबद्ध करते हुए सशक्त ऊर्जावान कृषक का निर्माण कर उनके द्वारा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष राजस्व का सृजन करते हुए भारत राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मानकों में विकसित राष्ट्र स्थापना में कृषि/कृषक अथवा सम्बद्ध क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों के अंश में पूर्ण सहयोग प्रदान किए जानें हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

उक्त केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत विशिष्टीकरण आदि के समस्त प्रस्तरीय सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों के मण्डल स्तरीय एक जनपद एक उत्पाद आदि में आच्छादित कृषि आदि कच्चा माल आदि उत्पाद के प्रसंस्करण आदि बृहद शासकीय औद्योगिक लगभग @83 मसीनरी आदि युक्त इकाइयों के निर्माण आदि के प्रस्तावित संरचना में वेतन/मानदेय/विभिन्न दैनिक/साप्ताहिक/मासिक/वार्षिक प्राप्ति अथवा आहरण अथवा वितरण होना विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाओं/नीति.

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

01. डेयरी उद्यमिता विकास अथवा अन्य दुग्ध नीति/योजना अथवा परियोजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

03. औषधीय कृषि उत्पाद योजना/ आयुष अथवा पंचकर्म आदि इकाई निर्माण योजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

04. शासकीय कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र/प्रक्षेत्र प्रसंस्करण/अन्य औद्योगिक विकास योजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

05. संस्थागत निवेश नीति/योजना अथवा परियोजना हेतु आदि निवेश ब्यवस्था आदि में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

06. गैर निष्पादित कृषक शाखीय सुरक्षा (बैंकिंग) योजना अथवा परियोजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार व्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार व्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

07. केंद्रीय कृषि औद्योगिक सुरक्षा योजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी(वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

08. संस्थागत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योजना अथवा परियोजना आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

09. आयुष अथवा पंचकर्म इकाई निर्माण योजना अथवा परियोजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/ विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/ नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी(वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

10. ग्रेड योजना अथवा परियोजना आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

11. पशुधन विकास नीति/योजना हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

12. नॉन एन.पी.ए.कृषक/जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

13. अनुसंधान एवं विकास आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

14. सुरक्षा अनुसंधान एवं विकास,जाँच आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी(वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

15. संस्थागत अथवा वाहय आदि योजनाओं आदि में सरकारी/गैर सरकारी तौर पर संभावित/ अपेक्षित भ्रष्ट्राचार/ब्लैकमेलिंग आदि हेतु ब्यवस्था में प्रयोग/शोध/परीक्षण आदि ब्यवस्था परिषन पर्यन्त निवारण आदि ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/ परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी(वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण व्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त व्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।

उक्त केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाओं/नीति आदि के समस्त प्रस्तरीय सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं से कृषि/कृषक/राष्ट्र/जनों को होने वाले सीधे लाभ निम्न है,को कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन को होने वाले मुख्य लाभ निम्न है,

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

01. दुग्ध एवं कृषि नीति भारत सरकार में प्रस्तावित/संचालित कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों की सम्भावित योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाएं/नीतियों का जमीनी क्रियान्वयन अथवा केन्द्र/राज्य सरकार की योजना/परियोजना/अन्य का जमीनी/वास्तविक क्रियान्वयन हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

02.दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद, खाद्यान्न/आलू अथवा समस्त सब्जियाँ/धान/दलहन/तिलहन के उचित मूल्य/एम.एस.पी. में हो रही अनियमितिताओं पर सम्पूर्ण नियन्त्रण अथवा संस्थागत योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं में शामिल या संस्थागत आच्छादित समस्त कृषि एवं सम्बद्ध कच्चा माल अथवा एक जनपद एक उत्पाद योजनान्तर्गत आच्छादित कच्चा आदि माल का न्यूनतम अथवा अन्य समर्थन मूल्य आदि पर न्याय सभा स्तरीय ऑनलाइन ई.आर.पी.आधारित निगरानी युक्त दैनिक ऑडिट ब्यवस्थान्तर्गत मिनी कलेक्शन सेन्टर/कृषक सेवा केन्द्र/दुग्ध कलेक्शन सेन्टर पर खरीददारी आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

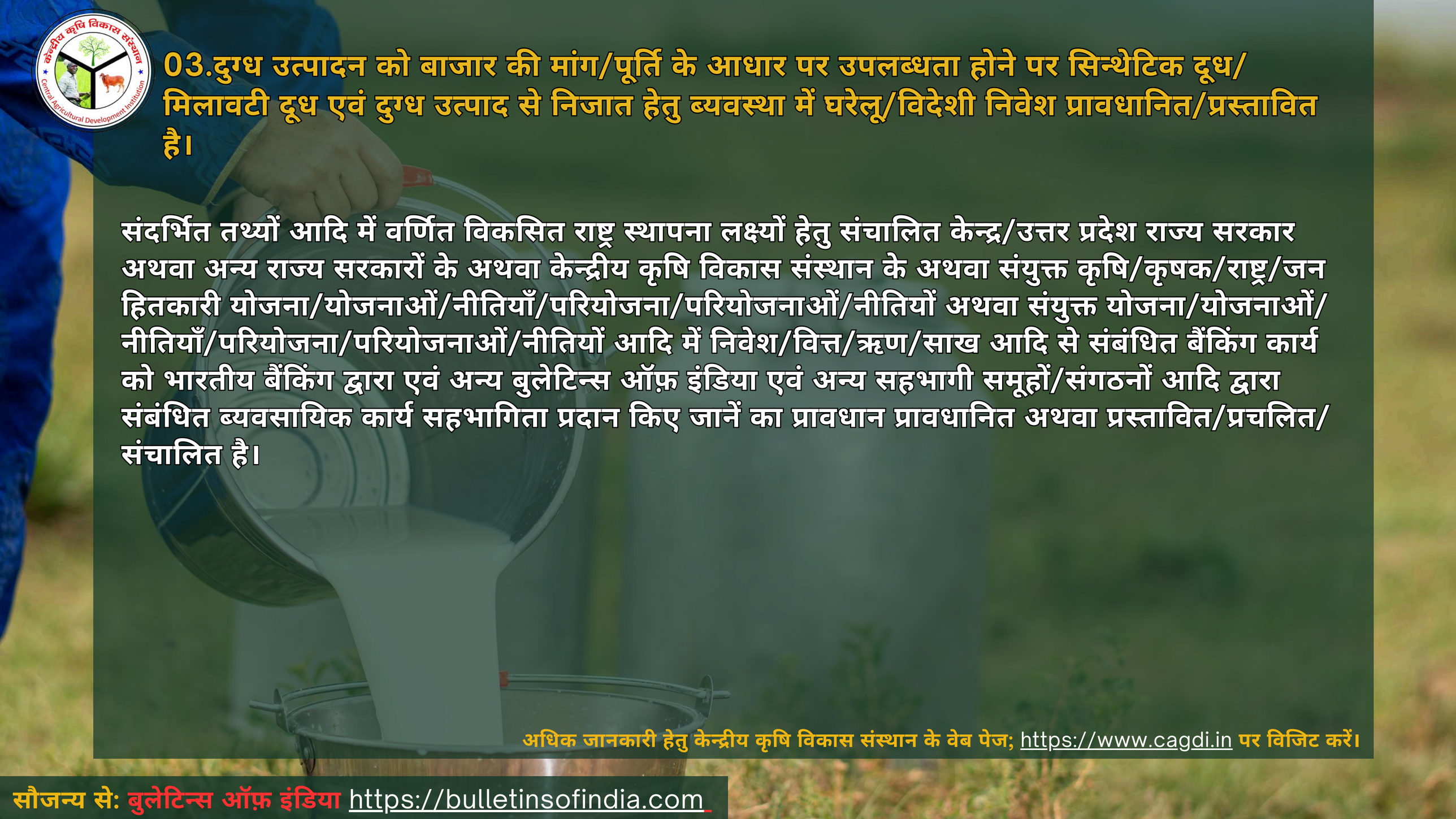
सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com



03.दुग्ध उत्पादन को बाजार की मांग/पूर्ति के आधार पर उपलब्धता होने पर सिन्थेटिक दूध/मिलावटी दूध एवं दुग्ध उत्पाद से निजात हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

04.बिचौलिया प्रणाली का लगभग खात्मा एवं विचौलियों आदि हेतु अन्य सुलभ/सुगम किन्तु भ्रष्टाचार रहित व्यवस्थान्तर्गत स्वरोजगार सृजन हेतु व्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

05.कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों आदि के उत्पादों को नष्ट होने/सड़ने/अन्य क्षति से लगभग सम्पूर्ण रोकथाम हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

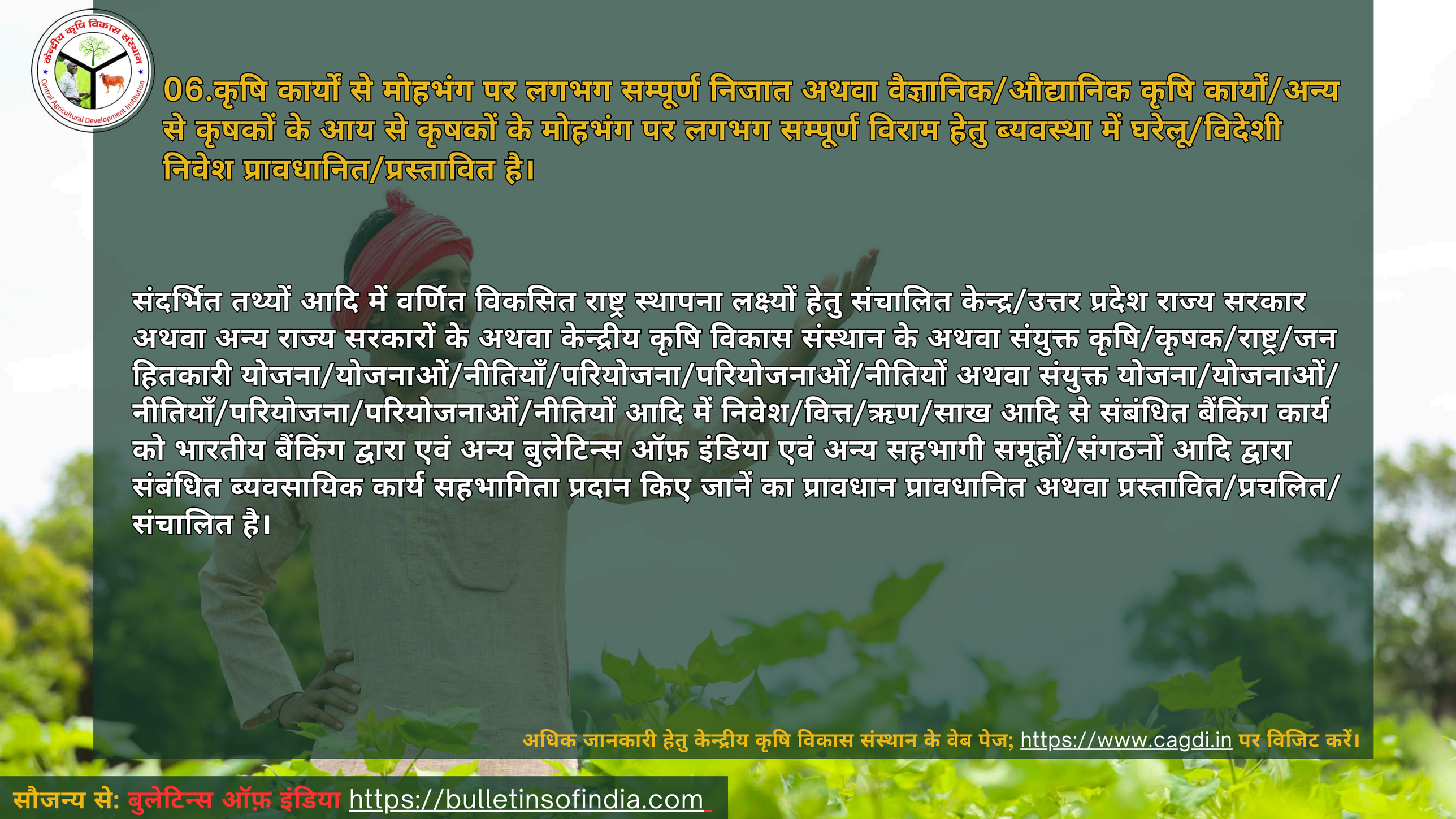
सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com



06.कृषि कार्यों से मोहभंग पर लगभग सम्पूर्ण निजात अथवा वैज्ञानिक/औद्यानिक कृषि कार्यों/अन्य से कृषकों के आय से कृषकों के मोहभंग पर लगभग सम्पूर्ण विराम हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम,सुरक्षा/जाँच/अनुसंधान/अन्वेषण कार्यक्रम,बीज विकास अनुसंधान/शोध आदि कार्यक्रम,अनुवांशिकी (वनस्पति/जन्तु आदि संबन्धित) विकास/अनुसंधान/शोध आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

07.गौ-वंश के प्रति हो रहे मोहभंग पर सम्पूर्ण विराम हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा किए जानें के प्रावधान प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

08.आधुनिक प्रयोगशाला द्वारा आधुनिक तकनीक अपनाकर जैविक व्यवस्थान्तर्गत संकरित उत्कृष्ट संकर बीज/अन्य प्रसंस्करण (समस्त कच्चा माल जो संस्थान के परियोजना में शामिल है) द्वारा निर्माण कराकर कृषक हित/राष्ट्रहित/जनहित में उपयोगी (संस्थान के मूल उद्देश्यों में शामिल) होगा,आदि का निर्माण कार्य कराकर कृषकों/अन्य हेतु बाजार में नियंत्रित दर पर उपलब्ध कराये जाने से अनियंत्रित मूल्य पर नियंत्रण प्राप्त करना आदि कार्यक्रम/योजना/परियोजना अथवा नीतिगत आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

09.मण्डल अथवा जनपद स्तर पर उच्च-स्वचालित बृहद/मध्यम/लघु/शूक्ष्म औद्योगिक इकाइयों के कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों के कच्चा माल प्रसंस्करण युक्त ढांचागत विकास से अधिक से अधिक रोजगार सृजन से रोजगार/स्वरोजगार की असीम संभावनाओं के वास्तविक ढाँचागत विकास से ग्रामीण स्तर के अति निर्धन/निर्धन/मझोले/दुर्बल आय वर्ग(बैंक टर्न ओवर पर आधारित वास्तविक आय) के कृषको को संस्थागत योजनान्तर्गत अथवा अन्य माध्यमों से उनके आय को दोगुना/चार गुना/आठ गुना/अन्य युक्त सशक्त कृषक अथवा जनों का सृजन कर मुफ्तखोर कृषक अथवा जनों के सृजन पर सम्पूर्ण रोकथाम करते हुए सशक्त जनों अथवा कृषक निर्माण कर भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र स्थापित होने में कृषि/कृषक अंश से सहयोग प्रदान करना अथवा कराया जा सकेगा आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

10.अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत योजनाओं के विस्तार से भारत राष्ट्र के प्रतिनिधित्व युक्त ब्यवस्था से विभिन्न प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ संभावित है जिससे मुद्रा-स्फीति अथवा अन्य सीधे तौर पर प्रभावित होगा आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

11.केंद्रीय कृषि विकास संस्थान को केंद्र/राज्य सरकारों आदि से प्राप्त बजट की स्वीकृति को संरक्षित कर उसके क्रम में घरेलू/अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्राप्त निवेश के माध्यम से योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाएं/नीतियों आदि का भौतिक वास्तविक क्रियान्वयन से विभिन्न प्रस्ताव आख्या में ब्याप्त भ्रष्टाचार पर नियन्त्रण प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित है,आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

उक्त लाभों के अतिरिक्त अन्य लाभ भी समयानुकूल परिवर्तनों के क्रम में अप्रत्यक्ष रुप से अथवा में निहित अथवा प्रावधानित/प्रस्तावित/प्रचलित है |

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानितप्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

12.केंद्रीय कृषि विकास संस्थान को भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों से नियुक्ति अधिसूचना आदि से प्राप्त आवेदनों में से लघुसूचीयन पर्यन्त चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अवशेष बचे अभ्यर्थियों को एफ.पी.ओ.अथवा एस.एच.जी.आदि के क्रम में कृषक/कृषि आदि हितार्थ विभिन्न विभिन्न पदों में आवेदित आवेदकों को उनके योग्यतानुसार कृषक मित्र आदि के माध्यम से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु उच्च गुणवत्तापूर्ण शासकीय अथवा अशासकीय सदस्य सृजन कार्यक्रम प्रस्तावित/प्रचलित है,आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

उक्त लाभ को प्राप्त करने में भ्रष्टाचार रहित शासकीय रोजगार सेवक सृजन अथवा स्वरोजगार सदस्य सृजन के तहत नव-नियुक्त शासकीय सेवक अथवा स्वरोजगार हेतु नव-नामांकित अथवा मनोनीत सदस्यों द्वारा उच्च-गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षणोपरांत कराया जाना संभव हो सकेगा जिस हेतु संस्थागत सहयोगी समूह द्वारा प्रस्तावित विश्वविद्यालय आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है। उक्त संदर्भगत लाभों का उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रस्तावित/संचालित कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों की सम्भावित योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाएं/नीतियों आदि में प्रबंधकीय व्यवस्थांतर्गत बैंकिंग,कृषि,उद्योग,विदेश व्यापार,कृषि वाणिज्य,कृषि विदेश व्यापार,बीमा,ग्रामीण विकास,सामाजिक विकास अध्ययन,भारतीय अर्थव्यवस्था,आयात/निर्यात प्रबन्धन,पशुधन संरक्षण/सम्बर्धन/सुरक्षा,सुरक्षा आदि शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम/योजनान्तर्गत वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु विभिन्न संभावित पदों हेतु एक साल से तीन साल के लगभग छः सेमेस्टर अवधि युक्त कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों आदि हेतु .....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विशेष कोर्स का संचालन कराया जाना प्रस्तावित है जिससे वर्तमान बैंकिंग,कृषि,उद्योग,विदेश व्यापार,कृषि वाणिज्य,कृषि विदेश व्यापार,बीमा,ग्रामीण विकास,सामाजिक विकास अध्ययन,भारतीय अर्थव्यवस्था,आयात/निर्यात प्रबन्धन,बाज़ार प्रबंधन,पशुधन संरक्षण/सम्बर्धन/सुरक्षा आदि शिक्षा पद्धति से प्राप्तबैंकिंग,कृषि,उद्योग,विदेश व्यापार,कृषि वाणिज्य,कृषि विदेश व्यापार,बीमा,ग्रामीण विकास,सामाजिक विकास अध्ययन,भारतीय अर्थव्यवस्था,आयात/निर्यात प्रबन्धन,पशुधन संरक्षण/सम्बर्धन/सुरक्षा आदि आदि सामान्य सेवक की अपेक्षा दस गुना से अठारह गुना अति उच्च गुणवत्तापूर्ण विकसित राष्ट्र हितार्थ बैंकिंग,कृषि,उद्योग,विदेश व्यापार,कृषि वाणिज्य,कृषि विदेश व्यापार,बीमा,ग्रामीण विकास,सामाजिक विकास अध्ययन,भारतीय अर्थव्यवस्था,आयात/निर्यात प्रबन्धन,पशुधन संरक्षण/सम्बर्धन/सुरक्षा आदि(समयानुकूलीय/पर्यावरणीय/भौगोलिकीय आदि परिवर्तनीय) आदि अथवा विकसित राष्ट्र स्थापना में उपयोगी शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम में उपयोगी विषयों आदि विकास व्यवसायिक कार्य आदि हेतु सेवक सृजन के साथ ही साथ उनके शिक्षण/प्रशिक्षण दौरान अभ्यर्थी/आवेदक/प्रशिक्षणार्थी के बुद्धि लब्धि को अति उच्च स्तरीय जिसमें हिन्दी को मूल पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए योग्यतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं के कुछेक सह-मूल यथा हिन्दी,अंग्रेजी के साथ सम्बंधित क्षेत्र के छात्रों के छेत्रीय भाषा सहित को शामिल करते हुए संस्थागत निवेश अथवा विपणन इकाई हेतु प्रस्तावित @65राष्ट्रों के भाषाओं को आवश्यकतानुसार अथवा यथा योग्यतानुसार सापेक्ष भाषा को प्रति छात्र हेतु शामिल करते हुए शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक योजना अथवा कार्यक्रम प्रस्तावित है,श्रेणी कृत प्रदत्तता युक्त अति उच्च गुणवत्तापूर्ण विकसित राष्ट्र हितार्थ युक्त शासकीय सेवक आदि अथवा अशासकीय सदस्य सृजन कार्यक्रम/योजना/परियोजना प्रस्तावित/प्रचलित है। उक्तानुक्रम में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष तक लगभग साढ़े पांच लाख करोड़ का टर्न-ओवर मुद्रा प्राप्ति अथवा आहरण अथवा वितरण प्रस्तावित अथवा संभावित है,आदि हेतु ब्यवस्था में घरेलू/विदेशी/घरेलू निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित/ प्रचलित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in **पर विजिट करें।**

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संलग्न आंशिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सहित अन्य उक्त संदर्भित तथ्यों आदि के ब्योरेवार विवरण सहित आंशिक साक्ष्य संलग्न के क्रम में मुद्रा प्राप्ति अथवा आहरण अथवा वितरण प्रस्तावित होगा आदि हेतु ब्यवस्था में विदेशी/घरेलू आदि निजी/अन्य निवेश प्रावधानित/प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण व्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त व्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/ प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/ विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है इसके साथ ही साथ भारतीय प्रबन्ध संस्थान(IIM) आदि के प्रायोगिक तौर पर शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षण समन्वय सहित भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के क्रमशः कृषि विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों अन्य विश्वविद्यालयों,महाविद्यालयों एवं अन्य विद्यालयों सहित समन्वय सहित विकसित राष्ट्र स्थापना हेतु नए संकाय सहित प्रायोगिक तौर पर शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक शिक्षा अनिवार्यता सहित पद्धति युक्त व्यवस्था केंद्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित ब्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है। उक्त केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं से कृषि/कृषक/राष्ट्र/जनों को होने वाले सीधे लाभ निम्न है,को कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन को होने वाले मुख्य लाभ अंश आदि के समस्त प्रस्तरीय सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है। बैंक टर्न ओवर पर आधारित कृषकों सहित अन्य @3.5 करोड़ पंजीकृत कृषकों के सापेक्ष उक्त परियोजना कृषकों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आदि को नॉन एन.पी.ए.कृषक अथवा अन्य जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत दृढ़ एवं सशक्त कृषक सृजन में विभिन्न माध्यमों से विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगी आदि का वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2031-32 अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष से छह वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित योजनाओं अथवा परियोजनाओं के वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन पर्यन्त प्राप्त परिणाम पर विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण को कार्य विवरण को दैनिक रुप से प्राप्त परिणाम को वार्षिक रुप से आंशिक परियोजना आख्या विवरण जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति में अध्ययन सामग्री के रुप में संकाय शिक्षा पद्धति के रुप में प्रस्तावित @213 संकाय (फैकल्टी) युक्त विश्वविद्यालय जिसमें एक जनपद एक उत्पाद,कृषि प्रसंस्करण आदि के माध्यम का ढांचागत विकास आदि परियोजना आदि के क्रम में मूलतः कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों अथवा प्रक्षेत्रों के सापेक्ष राजस्व,उद्योग,ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि,वैश्विक बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,राष्ट्रीय विपणन विकास कार्यक्रम आदि,ग्रामीण बाज़ार ब्यवस्था विकास कार्यक्रम आदि,अनुसंधान एवं विकास आदि कार्यक्रम,आयुष विकास कार्यक्रम,पंचकर्म इकाई विकास कार्यक्रम,विभिन्न रोग प्रतिरोधक विकास कार्यक्रम,दुग्ध विकास कार्यक्रम आदि,दुग्ध उत्पाद विकास आदि कार्यक्रम,निवेश/वित्त/ऋण/साख विकास आदि कार्यक्रम,अर्थ मूल्य विकास कार्यक्रम,बैंकिंग विकास कार्यक्रम,कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रीय अथवा प्रक्षेत्रीय स्तरीय कच्चा माल विकास कार्यक्रम,सुरक्षा विकास कार्यक्रम,गौधन सुरक्षा/संरक्षा/संवर्धन आदि कार्यक्रम आदि माध्यम से संस्थागत सर्वोच्च प्राथमिकता यथा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों में संस्थागत नई शिक्षा नीति में पूर्ण रुपेण युक्त विकसित राष्ट्र स्थापना तक सतत चलने वाली प्रक्रिया के रुप में सक्षम होगा,तत्क्रम में विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना आख्या विवरण समय-समय पर विभिन्न माध्यमों से जन सामान्य हेतु सुलभ उपलब्ध होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

नोट- केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत उद्देश्यों,कार्यक्रम विशेष,संस्थागत विशेष,संस्थागत विशिष्टीकरण,संस्थागत नीतियाँ/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाएं आदि में ग्राम सभा स्तर पर क्लस्टर(विशेष समूह) कृत विकसित राष्ट्र स्थापना हेतु बाधक मुफ्तखोरी व्यवस्था पर संस्थागत पंजीकृत कृषक अथवा पंजीकृत अन्य सामान्य जन हेतु लगभग सम्पूर्ण नियन्त्रण कर सशक्त कृषक अथवा जन स्थापना अथवा सृजन प्रस्तावित/प्रचलित/प्रावधानित है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में संस्थागत रोजगार अथवा स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत विभिन्न कृषि उत्पादन,कृषि उत्पाद,कृषि उद्योग,लघु उद्योग,कृषि व्यापार,राजस्व,बैंकिंग,सुरक्षा,निवेश,बीमा,कृषि वाणिज्य,कृषि राजस्व,दुग्ध उत्पादएवं विकास,पशुधन संरक्षण/संवर्धन आदि,सुरक्षा आदि,दुग्ध एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय उत्पाद विकास स्थापना एवं विकास आदि,कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय उत्पाद विकास स्थापना एवं विकास आदि, शोध एवं जांच सम्बंधित उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यवस्था स्थापना एवं विकास आदि से सम्बंधित शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक आदि के व्यापारिक शिक्षा (विभिन्न श्रेणी) आदि/अर्थशास्त्र(विभिन्न श्रेणी) आदि/सामाजिक शिक्षा(विभिन्न श्रेणी) आदि/गणित(विभिन्न श्रेणी) आदि/प्रबन्धन(विभिन्न श्रेणी) आदि/भारतीय अर्थशास्त्र(विभिन्न श्रेणी) आदि/सामान्य ज्ञान (विभिन्न श्रेणी) आदि/तकनीकी शिक्षा आदि//प्राविधिक शिक्षा आदि/कृषि शिक्षा आदि/विज्ञान आदि/आदि विभिन्न प्रबंधकीय/प्रशासनिक शिक्षा आदि में बारहवीं/स्नातक/परास्नातक आदि शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक आदि शिक्षा प्राप्त किए शिक्षित युवाओं को नई शिक्षा नीति (NEW EDUCATION POLICY) "NEP" के तहत विषय श्रेणीकृत योग्यतानुरुप रोजगार अथवा स्वरोजगार के विभिन्न सुअवसर आदि की उपलब्धता होगी।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों के अनुक्रम में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के बजट मांग प्रस्ताव पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के पशुधन, दुग्ध एवं मत्स्य विभाग के आदेश फ़ाइल संख्या 17-1/2018-डी0पी0 दिनांक 19 सितम्बर 2018 द्वारा संस्थागत प्रस्तुत किए गए बजट मांग प्रस्ताव को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय,भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्राप्त अनुमोदन/स्वीकृति के क्रम में संरक्षित अथवा अद्यतित बजट अथवा अन्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार अथवा सरकारों के अंशीय बजट आदि के अतिरिक्त संस्थागत योजनाओं आदि में ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत लगभग 14914(चौदह हज़ार नौ सौ चौदह करोड़ भारतीय रुपए) का वित्तीय वर्ष 2024-25 से छः वित्तीय वर्ष हेतु घरेलू अथवा विदेशी आदि सुरक्षित निवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सरकार एवं संस्थागत किए गए निवेश अनुबन्ध संख्या 24/HRTI/0000027658, इसके साथ ही साथ गुजरात राज्य सरकार,मध्य प्रदेश राज्य सरकार,राजस्थान राज्य सरकार,बिहार राज्य सरकार,महाराष्ट्र राज्य सरकार,हरियाणा राज्य सरकार,पंजाब राज्य सरकार आदि में संस्थागत योजनाओं आदि के भौतिक क्रियान्वयन हेतु निवेश कार्यवाही प्रचलित/प्रस्तावित है के अनुक्रम में केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के शासकीय रोजगार अथवा स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन आदेश संख्या 21-10/2023-टी.एस.वी दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के क्रम में भारतीय युवाओं हेतु संस्थागत स्वीकृत डेढ़ लाख पदों के अध्येतावृत्ति (फ़ेलोशिप) कार्यक्रम अथवा संस्थागत योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के भौतिक क्रियान्वयन हेतु संस्थागत अधिसूचनाओं के तहत नियुक्ति प्रक्रिया आदि से सम्बंधित कार्यवाही प्रचलित है के क्रम में संस्थागत शासकीय(सरकारी) रोजगार अथवा भारत राष्ट्र के ग्राम सभाओं के सापेक्ष उत्तर प्रदेश के ग्राम स्तरीय तीस हज़ार संग्रह केंद्रों के सापेक्ष न्याय पंचायत स्तरीय आठ हज़ार संग्रह केंद्रों से अधिक पर संस्थागत स्वरोजगार प्रायोगिक प्रोत्साहन के तहत नियुक्ति अथवा मनोनयन नियमों में आच्छादित नियमों में विभिन्न पदों पर प्रक्रिया प्रचलन में है।

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान में विभिन्न घरेलू/विदेशी आदि ज्ञात श्रोत के माध्यम से निवेश पर्यन्त संस्थागत विनिवेश के माध्यम से कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों का वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन तत्पर्यंत सत्यापन आदि पर्यन्त वित्त/बजट मांग सहित राष्ट्रीय क्षति शून्य युक्त भ्रष्टाचार रहित ब्यवस्थान्तर्गत आदि ब्यवस्था लागू होगी।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण कार्य आदि हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन ब्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण ब्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक ब्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त ब्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं से कृषि/कृषक/राष्ट्र/जनों को होने वाले सीधे लाभ निम्न है,को कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन को होने वाले मुख्य लाभ अंश आदि के समस्त प्रस्तरीय सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विस्तृत परियोजना हेतु आंशिक परियोजना विवरण प्रावधान.

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है तत्क्रम में उक्त निवेश धनराशि का संबंधित कार्यक्रम अथवा परियोजना के माध्यम से आपदा में अवसर की ब्यवस्था के तहत केन्द्र अथवा राज्य सरकारों के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितोपयोगी योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा संस्थागत संचालित योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/परियोजना/नीति/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि के माध्यमों से उक्तानुक्रम में कार्य योजना अथवा परियोजना में आने अथवा होने वाले अनुमानित ब्यय जो कि दैनिक ऑडिट युक्त निगरानी पद्धति के तहत कार्य योजना अथवा परियोजना माध्यम से कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के औषधीय कृषि उत्पाद के अंतर्गत पंजीकृत कृषकों को ब्याज रहित शाखीय कार्ड उपलब्धता माध्यम से भारतीय कृषकों हेतु संस्थागत नियमों की परिधि में संस्थागत परियोजनात्मक लाभ देयता प्रस्तावित है जो विकसित राष्ट्र स्थापना अंश आदि उपयोगिता आदि का वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छः वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

मूल भाषाएँ.

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि का वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु मूल भाषा के रुप में हिन्दी होगा इसके साथ ही साथ अँग्रेजी सहित भारत राष्ट्र के लगभग बाइस श्रेत्रीय भाषायें एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रावधानित/ प्रस्तावित @65(पैसठ) राष्ट्रों के भाषाओं को शामिल किया जाना प्रस्तावित/ प्रावधानित है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत मूल भाशाओं में विविध अंतर्राष्ट्रीय भाषाओँ को शामिल किया गया है आदि के समस्त सन्दर्भित तथ्यों में वर्णित योजनाओं आदि में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित/ प्रस्तावित/प्रचलित/संचालित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संस्थागत पात्रता मापदंड.

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि का लाभ भारत राष्ट्र के मूल नागरिकों के कृषक अथवा अन्य जनों हेतु मुख्यतया एक जनपद एक उत्पाद योजना अथवा आयुष मिशन भारत सरकार के तहत औषधीय कृषि उत्पाद योजना आदि हेतु न्यूनतम समर्थन अथवा अन्य मूल्य योजनान्तर्गत उच्च अथवा अन्य कृषक वर्ग गणों हेतु एवं उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों की दुग्ध एवं कृषि से सम्बन्धित योजनाओं आदि हेतु अति अल्प आय (बैंक टर्न ओवर के आधार पर बैंक रोकण) मुफ्तखोरी युक्त मध्यम/सीमान्त अति निर्धन/निर्धन ब्यसन/नशा रहित जन/कृषक वर्गों को संस्थागत विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सशक्त कृषक सृजन ब्यवस्थान्तर्गत जातिरहित मूलतः कृषक अथवा अन्य जन गण संस्थागत पात्रता मापदंड हेतु अर्ह होंगे ।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान का ब्यवसायिक अथवा मीडिया इकाई: मा.प्रधानमन्त्री,भारत सरकार के नेतृत्व में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/परियोजना/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि अथवा उत्तर प्रदेश राज्य में मा.मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के कुशल प्रबन्धन/संरक्षण में कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/परियोजना/ योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि राज्य स्तरीय अंश क्रियान्वयन का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशन एवं सत्यापन किया जायेगा इसके साथ ही साथ भारत राष्ट्र के उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जारी शासनादेश संख्या: 824/पन्द्रह-3-2024 दिनाँक 23 दिसम्बर 2024 के क्रम में उत्तर प्रदेश राज्य सहित अन्य राज्यों के संबंधित विभाग सहित ब्यवसायिक अथवा मीडिया सहयोगी हेतु बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के सोशल मीडिया/डिजिटल मीडिया एवं प्रिण्ट मीडिया सहित अन्य मीडिया माध्यमों से दैनिक देखरेख,भौतिक क्रियान्वयन सत्यापन पर्यन्त जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार आदि सहित वास्तविक कार्य उद्देश्यों आदि की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु श्रम सेवा आदि ब्यवसायिक आदि कार्यों हेतु ब्यवसायिक/मीडिया सहयोगी हेतु केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा अधिकृत है।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

यह कि गॉरन्टीड ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत भारतीय रुपए में समस्त ब्यापारिक निवेश आदि पर केंद्रीय कृषि विकास संस्थान (विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केंद्रीय एजेन्सी के रुप में भारत सरकार द्वारा स्वायत्तता प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यम) के संस्थागत नियमों में आच्छादित जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी (जेड0सी0बी0पी0) यथा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत प्रशासकीय/प्रबन्धकीय/शासकीय/अर्धशासकीय/संस्थानिक/अन्य में भ्रष्टाचार/अनुशासनहीनता/अन्य आदि के मामलों में शिकायत प्राप्ति के उपरान्त निलम्बन (सस्पेंशन) पद्धति को समाप्त करते हुए उसके स्थान पर बर्खास्तगी की कार्यवाही के उपरान्त जाँच की पद्धति को विकसित किया जाएगा। शिकायत करते समय शिकायतकर्ता द्वारा बाण्ड भरवाया जाना आवश्यक होगा जिसमें उल्लिखित किया जाना अनिवार्य होगा कि यदि शिकायतकर्ता (समस्त श्रेणी) द्वारा किए गए शिकायत समस्त प्रकार के राग, द्वेष, ईर्ष्या, लालच, लोभ आदि से रहित है | शिकायत के झूठी पाए जाने पर शिकायतकर्ता (समस्त श्रेणी) के शिकायत से प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों (समस्त श्रेणी) की बर्खास्तगी के दौरान समस्त भत्तों यथा वेतन/नियत वेतनमान/अन्य (समस्त श्रेणी) का भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा जमा कराए गए धनराशि द्वारा वसूल की जाएगी अथवा शिकायतकर्ता के चल/अचल सम्पत्ति से वसूल किए जाने का प्रावधान प्राविधानित है| झूठी शिकायत के मामलों/मामले में प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों/अन्य (समस्त श्रेणी) के साथ-साथ संस्थान के साख को हुए सामाजिक/आर्थिक/अन्य (समस्त श्रेणी) नुकसान हेतु मानहानि/आपराधिक/अन्य की कार्यवाही यथा प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही किए जाने पर शिकायतकर्ता को कोई आपत्ति नहीं होगी न ही शिकायतकर्ता न्यायालय की मदद लेगा। शिकायती पत्र के क्रम में प्राप्त शिकायत की जाँच साक्ष्यिक, भौतिक अथवा अन्य माध्यमों से तृतीय पक्षीय जाँच कराया जाएगा। जाँच की पद्धति प्रथम से, जाँच पद्धति द्वितीय से, जाँच पद्धति तृतीय से कराया जाना प्राविधानित होगा। प्रत्येक संस्थान के आंतरिक जाँच की अधिकतम समय सीमा 45 कार्य दिवसों की होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/संस्थान/अन्य के अध्यक्ष की सहमति के आधार पर निर्णय निर्भर होगा। जाँच अधिकारी द्वारा किए गए जाँच की सम्बन्धित प्रभाग/विभाग/संस्थान की स्वीकार्यता आदि के निर्णय पर निर्भर होगा।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

प्रबन्धकीय आदि के शिकायत से सम्बन्धित मामलों में चेयरमैन/अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निर्णय पर तृतीय पक्षीय जाँच के अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही/जाँच की जा सकेगी जो प्रभाग/संस्थान आदि के प्रदेश स्तरीय संस्थान/संयुक्त उपक्रम के अध्यक्ष पर लागू होगी अथवा प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जा सकेगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक/अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदनोपरान्त अपराध की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराकर जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी जिसमें सम्बन्धित को कोई ऐतराज नहीं होगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय-समय पर परिवर्तनीय होगा। किसी भी परिवर्तन का अधिकार अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान को होगा अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के अन्तर्गत भ्रष्टाचार/संस्थान विरोधी गतिविधियों अथवा उत्कोच आदि के संगीन मामलों में निलंबन की कार्यवाही समाप्त करते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है। केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के राज्य स्तरीय अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों (समस्त श्रेणी) द्वारा किए/कराए गए किसी भी प्रकार के जन/कृषि/कृषक/संस्थान/राज्य/केन्द्र/राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के क्रम में अथवा भ्रष्टाचार के मामलों में शिकायत पंजीकरण के पश्चात् सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की सेवा तत्काल प्रभाव से बर्खास्त माना जाएगा अर्थात यदि शिकायत पंजीकरण का समय किसी भी अंग्रेजी तारीख के समय 10:05AM हो तो सम्बन्धित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों की सेवा 10:05 मिनट से बर्खास्तगी की कार्यवाही को तत्काल प्रभावी माना जाएगा और यह तब तक प्रभावित रहेगा जब तक की जाँच पूरी न हो जाए। यदि जाँच में शिकायत सत्य पाई जाता है तो बर्खास्तगी की कार्यवाही के साथ-साथ अपराध की श्रेणी के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए वैधानिक/दंडात्मक कार्यवाही भी सुनिश्चित कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित है। वित्तीय आदि के मामले/मामलों में हुई अनियमितिता चाहें वह भूलवश ही हो, की दशा में हुई क्षति का दस गुना तक की वसूली एवं अन्य कार्यवाही का प्रावधान प्राविधानित होगा। तृतीय पक्षीय जाँच पद्धति अथवा क्रॉस जाँच पद्धति अपनाया जाना प्राविधानित होगा।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

रिश्वत (समस्त श्रेणी) के मामले/मामलों में रिश्वत लेने वाले अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों/अन्य (समस्त श्रेणी) के साथ-साथ रिश्वत देने वाले व्यक्ति/जन/जन प्रतिनिधि(समस्त श्रेणी)/ अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार हेतु भ्रष्टाचार उत्प्रेरक मानते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आदि के तहत दण्डात्मक/वैधानिक/अन्य कार्यवाही किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा जिसका क्रियान्वयन सख्ती से लागू कराने की बाध्यता सम्बन्धित/चिन्हित जाँच आधिकारी की होगी। सम्बन्धित/चिन्हित जाँच आधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की हीलाहवाली/अन्य की स्थिति में विभागीय कार्यवाही कराते हुए बर्खास्तगी की कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा।भ्रष्टाचार उत्प्रेरक/ उत्प्रेरकों(रिश्वत/लोभ/लालच एवं अन्य अथवा भ्रष्टाचार बढ़ावा हेतु सकारात्मक पहल करने वाले जन/कृषक/जन प्रतिनिधि/ मीडिया प्रतिनिधि आदि समस्त श्रेणी हेतु लागू) के मामलों/मामले में सम्बन्धित जाँच अधिकारी समस्त पहलू की गहनता से लोभ/लालच/अन्य रहित जाँच अथवा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत जाँच कर जाँच आख्या/रिपोर्ट के आधार पर उचित/ उपयुक्त/ठोस/दण्डात्मक कार्यवाही/अन्य उचित कार्यवाही कराए जाने का प्रावधान प्राविधानित होगा अथवा आवश्यकतानुसार प्राथमिकी दर्ज कराने की दशा में संस्थान के जाँच अधिकारी सम्बन्धित विवेचनाधिकारी (पुलिस) के प्रत्येक विवेचना की जाँच अपने स्तर से गुण/दोष के आधार पर निगरानी कराते हुए सुनिश्चित कराएगा। संस्थान के जाँच अधिकारी की यह भी जिम्मेदारी होगी कि पुलिस के जाँच में विवेचनाधिकारी द्वारा रिश्वत विहीन विवेचना कराई जाए यदि विवेचनाधिकारी द्वारा खर्चे/यात्रा भत्ता/अन्य का रोना रोया जाए तो वह ऐसे भत्ते संस्थान से इस शर्त के साथ प्राप्त कर ले कि विवेचनाधिकारी (पुलिस) द्वारा जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के आधार पर विवेचना किया जाएगा/जा रहा है। जनप्रतिनिधियों यथा लोकसभा सदस्य/राज्यसभा सदस्य/विधानसभा सदस्य/नेता पक्ष अथवा प्रतिपक्ष अथवा उनके दल अथवा निर्वाचन आयोग में पंजीकृत/मान्यता प्राप्त पार्टियों के प्रतिनिधियों अथवा अन्य जनसेवक अथवा जनपद स्तरीय/तहसील स्तरीय/ब्लाक स्तरीय/न्याय पंचायत स्तरीय/ग्राम सभा/पंचायत स्तरीय (समस्त श्रेणी) जनसेवक/प्रतिनिधियों के मामलों में संस्थान के जाँच अधिकारी/अधिकारियों के सहयोग हेतु विवेचनाधिकारी (पुलिस) के विवेचना जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी के तहत कराए जाने हेतु तृतीय पक्षीय जाँच का प्रावधान प्राविधानित होगा।.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

जन/जन प्रतिनिधियों(समस्त श्रेणी) प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक/अन्य मीडिया एवं प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों(समस्त श्रेणी) को ब्लैकमेलिंग आदि के मामलों/मामले में सम्बन्धित/प्रभावित अधिकारी/अधिकारियों/कर्मचारी/कर्मचारियों द्वारा मामलों/मामले को संस्थान के मीडिया सहयोगी से जाँच कराई जा सकती है एवं मामलों/मामले के आधार पर ब्लैकमेलर(समस्त श्रेणी) के विरुद्ध उचित कार्यवाही अथवा दण्डात्मक कार्यवाही के साथ उचित मुआवजा सहित मानहानि आदि की कार्यवाही करायी जा सकेगी। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी सामाजिक/समयानुकूलीय परिवर्तन के आधार पर समय-समय पर अध्यक्ष केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान से अनुमोदन प्राप्त कर जोड़ा/घटाया जाता रहेगा। जीरो करप्शन बेस्ड पॉलिसी समय-समय पर परिवर्तनीय होगा। संस्थान द्वारा कराये गए शोध के आधार पर भ्रष्टाचारी अधिकारी/कर्मचारी के आधार कार्ड को उसके भ्रष्टाचार के श्रेणी के आधार पर निम्नलिखित तीन श्रेणियों में प्रदर्शित की जाएगी,

(क) रेड सीरीज

(ख) ब्लू सीरीज

(ग) ग्रीन सीरीज

संस्थान द्वारा जांच में सत्य पाई गयी शिकायत के आधार पर रेड सीरीज सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी को रेड सीरीज प्रदान करते हुए आधार अभिलेखों सहित आधार को प्रगट किया जायेगा एवं केंद्र सरकार से सम्बंधित अथवा रेड सीरीज प्राप्त हुए आधार कार्ड धारक को सरकारी/निजी सेवाओं आदि के साथ-साथ किसी भी सरकारी योजना का लाभ न दिया जाए, आदि की संस्तुति केंद्र सरकार अथवा सम्बंधित विभागों को संस्तुति सहित अग्रसारित किये जाने का प्रावधान प्राविधानित है | भ्रष्टाचार आदि के मामलों में जांच में सत्य पाए गए शिकायत के आधार पर संस्थान द्वारा सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों अथवा प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समस्त विवरणों यथा आधार कार्ड एवं अन्य के माध्यम से प्रचार प्रसार आदि का कराया जाना प्राविधानित है,आदि किए गए निवेश अनुबन्ध प्रस्तावक,प्रतिनिधि आदि पर भी सामान्य रुप से लागू होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के क्रम में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं केंद्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन समूह के प्रस्तावित सार्वजनिक क्षेत्रीय समूह आदि के संयुक्त सहयोग आदि माध्यम से नैतिक शिक्षा पद्धतियां सहित कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,विज्ञान शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,साहित्य शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,वाणिज्य अथवा वाणिज्यिक/व्यापारिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,राजस्व शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,शोध शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,निर्माण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,पर्यावरण शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,प्रबन्धन/प्रशासनिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,चिकित्सा शिक्षा यथा परम्परागत युक्त पंचकर्म चिकित्सा सहित शल्य क्रिया शिक्षा पद्धतियां युक्त आदि परम्परागत पद्धति युक्त विभिन्न शिक्षा संकाय (FACULTY) प्रयोगात्मक भौतिक शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,कामर्स शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय,सेतु/गृह/रोड आदि निर्माण आ हेतु विभिन्न नागरिक कार्यों हेतु अभियांत्रिकी शिक्षा पद्धतियों से संबन्धित समस्त विषय हेतु विभिन्न संकाय सहित अन्य उक्त सदर्भित तथ्यों आदि से संबंधित विभिन्न शिक्षा संकाय अथवा वैश्विक स्तरीय शिक्षा पद्धतियों युक्त प्रयोगात्मक रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना आदि में.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

आच्छादित समस्त विषय वस्तु में राष्ट्रीय स्तरीय विभिन्न विषयों के सापेक्ष बैंकिंग/बीमा/निवेश/ग्रामीण-सामाजिक विपणन व्यवस्था अध्ययन/ग्रामीण व्यवसाय/मनोवृत्ति/मनोवैज्ञानिक-प्रशिक्षण अथवा शैक्षणिक आदि से अथवा सम्बंधित कक्षाओं हेतु कक्षा 10 वीं,12 वीं स्नातक,परास्नातक आदि उत्तीर्ण अथवा डॉक्टरेट आदि उपाधि प्राप्त कर चुके सम्बंधित विषयों में योग्यता रखनें वाले योग्य शिक्षार्थी आदि को विभिन्न प्रतियोगी आदि परीक्षाओं आदि माध्यमों से मस्तिष्क गुणवत्ता अथवा अन्य गुणवत्ता परीक्षणोपरांत उनके बुद्धिलब्धि के अनुरुप शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक व्यवस्था में शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर योग्य उम्मीदवारों का चयन कर राष्ट्रीय/वैश्विक मानक स्तरीय शिक्षण/प्रशिक्षण से सेवा युक्त व्यवस्थान्तर्गत विशेष कक्षाओं हेतु विशेष विद्यालयों आदि की स्थापना,विकास,संचालन आदि प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक(प्रायोगिक तौर पर विकसित राष्ट्र हेतु वास्तविक सार्थक परिणाम प्रदान करने वाले विभिन्न विषयों को समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/सामाजानुकूलीय आदि गतिशीलता युक्त मूल हिन्दी/अंग्रेजी सहित अन्य भाषाओं को शामिल करते हुए) वैश्विक स्तरीय विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि युक्त का उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित कर भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों आदि की शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सस्थानों की स्थापना प्रस्तावित/प्रावधानित किया गया है।

उक्त केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की जीरो करप्सन बेस्ड पालिसी आदि के समस्त सन्दर्भित तथ्यों आदि के जाँच आदि विकास,प्रतिनिधि आदि सृजन,जांच इकाई आदि गठन आदि के क्रम में संस्थागत निवेश योजनान्तर्गत प्रस्तावित संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के स्वतंत्र रुप से निवेश माध्यमों से बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज व्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज व्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधान प्रावधानित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

नोट- विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों पर कार्यरत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितार्थ योजना/योजनाएं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियां आदि सामाजिकीय/समयानुकूलीय/भौगोलिकीय आदि परिवर्तनों के आधार पर परिवर्तनीय है,जिसका समस्त अधिकार केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अपने पास सुरक्षित रखता है ।

उकेंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निवेशित धनराशि का उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव के क्रियान्वयन में स्वतन्त्र रुप से किए जानें हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित भारत के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के शिक्षित आदि बेरोजगार युवाओं/कृषकों/अन्य जनों हेतु रोजगार/स्वरोजगार कार्यक्रम,सशक्त कृषक-सशक्त राष्ट्र,लालच विहीन अथवा मुफ्तखोरी प्रथा रहित हेतु विकसित राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आदि के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों आदि की कार्यवाहियां/अनापत्तियां/प्रस्ताव उपयोगिता सहित संस्थागत प्रस्तावित प्रस्ताव आदि के अनुमोदनोपरान्त प्रस्तावित प्रस्ताव के अन्तर्गत विभिन्न शोध/प्रयोग/परीक्षण आदि पर्यन्त प्राप्त निष्कर्ष/परिणाम के क्रम में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम, न्यूनतम समर्थन मूल्य/अन्य मूल्य योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना/क्लस्टर सहित कार्यक्रम,गौ संरक्षण/संवर्धन/सुरक्षा/विकास आदि के क्रम में डेयरी अथवा दुग्ध एवं पशुधन विकास आदि योजना/कार्यक्रम,खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना/कार्यक्रम, बैंकिंग स्थापना,प्रबन्धन/विकास आदि योजना/कार्यक्रम, राजकीय/शासकीय औद्योगिक विकास योजना/कार्यक्रम, बीमा प्रबन्धन/विकास आदि योजना/कार्यक्रम,निवेश/विपणन योजना/कार्यक्रम,गैर निष्पादन परिसंपत्ति/परिसंपत्तियां आदि कार्यक्रम/योजना आदि का शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति के अन्तर्गत वास्तविक भौतिक सत्यापन युक्त क्रियान्वयन पश्चात/पर्यन्त मौद्रिक सशक्तीकरण योजना/कार्यक्रम का भौतिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के प्रसंस्करण/प्रबन्धन के साथ सकल घरेलू आय विकास योजना/कार्यक्रम आदि, कृषक/कृषि/राष्ट्र/जन हितकारी अथवा कल्याणकारी योजना/परियोजना/योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों आदि में संस्थागत विभिन्न पदों के अनुरुप यथा पूर्ण परियोजना आख्या हेतु अनुपूरक परियोजना आख्या में वर्णित इक्कीस लाख ऊपर प्रस्तावित विभिन्न पदों के सापेक्ष लगभग एक लाख पचास हजार पदों के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन आदेश संख्या 21-10/2023-टी.एस.वी दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के क्रम में लगभग अट्ठानबे हजार विभिन्न पदों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वैश्विक स्तर के विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

उच्च गुणवत्तापूर्ण निर्णय क्षमता युक्त,लालच विहीन,उच्च गुणों युक्त कर्तव्यनिष्ठ,भ्रष्टाचार रहित सेवकों आदि के सृजन हेतु भारत के राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राज्यों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या: 726/15-3-2024 दिनांक 05 नवम्बर 2024 के तहत संस्थागत प्रस्तावित प्रस्ताव आदि के क्रम में संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा स्वतन्त्र रुप से संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में घरेलू निवेश जिस पर समयानुकूलीय परिवर्तनीय @8.00% नियमानुसार ब्याज लागू होगा हेतु पूर्ण अनुमन्य द्वारा निवेश ब्याज व्यवस्था के अन्तर्गत घरेलू/विदेशी इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित घरेलू/विदेशी निवेश के सापेक्ष वैश्विक स्तरीय संस्थागत इकाइयों सहित भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों हेतु दिनांक 24 अगस्त 2024 समय 02.55 अपराह्न विदेशी निवेश पर तीन दशमलव उनसठ प्रतिशत (3.59%) ब्याज गारंटी व्यवस्था के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प संख्या IN-UP58342845383798W के तहत समस्त व्यापारिक निवेश गतिविधियों आदि को भारतीय रुपए में अनुमन्यता युक्त ब्यापारिक आदि निवेश गतिविधियां अनिवार्यता सहित दस वर्षों तक निकासी निषेध युक्त इक्विटी/शेयर आदि रहित पुनर्भुगतान अवधि पंद्रह वर्षों के लिए संस्थागत निवेश नियमों अथवा अनुबन्धों के अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2031-32 जो कि समयानुकूलीय परिवर्तनों पर आधारित होगा,आदि का भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विपणन आदि इकाई हेतु बढ़ते हुए क्रम में योजनाओं आदि पर आने वाले अनुमानित लागत/व्यय अथवा प्रस्तावित निवेश धनराशि का विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित भारतीय रुपए में प्राप्त निवेश धनराशि को निवेश धनराशि ही मान्य होगा आदि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं आदि में निवेश कार्यक्रम के तहत धनराशि अंतरण की कार्यवाही प्रचलित है। संस्थागत घरेलू/विदेशी निवेश नियमों जो प्रत्येक सामान्य भारतीय जन,भारतीय निजी समूहों आदि,न्यासों आदि,गैर सरकारी संस्थाओं,सहकारी समितियों आदि हेतु स्वतन्त्र रुप से घरेलू निवेश किए जानें हेतु अनुमन्य होगा इसके साथ ही साथ संस्थागत विदेशी निवेश नियमों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा से परिवर्तित प्राप्त भारतीय मुद्रा अथवा निधि को निवेश धनराशि अनुमन्यता के तहत मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति (ACCEPTANCE OF FUND) आदि की कार्यवाही प्रस्तावित/प्रचलित/प्रावधानित है,आदि कार्य में बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया त्रितीय पक्षीय वित्तीय अथवा अन्य सहयोगिता अथवा सहभागिता सहयोगी अनुसंगी होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा माननीय प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार के अपेक्षानुसार अथवा नेतृत्व अथवा मंशानुरुप अथवा प्रेरणा से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में संस्थागत घरेलू/विदेशी निवेश प्रावधानों के तहत बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया विभिन्न ब्यवसायिक आदि कार्यों के साथ ही साथ निवेश निधि संग्रह इकाई (INVESTMENT FUND COLLECTION UNIT) के रुप स्वतंत्र रुप से संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंगी के रुप में कार्यरत इकाई होगी।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

नोट-: केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त सन्दर्भित तथ्यों आदि में ब्यवसायिक एवं मीडिया अंश हेतु बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को ब्यवसायिक एवं मीडिया सहभागी के रुप में स्थायी रुप से कार्यरत मानव संशाधन ब्यवस्थान्तर्गत निदेशक,केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान श्री चन्द्र भूषण पाण्डेय बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया में पूर्णकालिक अवैतनिक सदस्य के रुप में बने रहेंगे एवं मा.अध्यक्ष,बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया श्रीमती नीलम केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान में पूर्णकालिक अवैतनिक सदस्य के रुप में बनी रहेंगी इसके साथ ही साथ निदेशक,केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान एवं मा.अध्यक्ष,बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया द्वारा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया हेतु लिए गए निर्णय सर्वोपरि एवं सर्वमान्य होंगे।

न्याय क्षेत्र: निवेश आदि मामलें/मामलों में उत्पन्न किन्हीं विवाद/विवादों की दशा में न्याय क्षेत्र लखनऊ,उत्तर प्रदेश,भारत होगा को अग्रिम आदेश तक प्रावधानित किया गया है।

अन्य नोट: केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान निम्न सलग्न उद्यम आदि संलग्नको में वर्णित समयानुकूलीय/भौगोलिकीय/समाजानुकूलीय ब्यवस्थान्तर्गत कार्यों हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों अथवा अपेक्षित कार्यों हेतु बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के उद्यम आदि संलग्नको में वर्णित कार्यों के संबंधित/अपेक्षित कार्य को पूर्ण किए जानें हेतु अनुषंगी/सहायक/संयुक्त उद्यम के रुप में अन्य वाहय निजी कार्यों के साथ ही साथ संस्थागत कायों को करेगी।

"बुलेटिन्स ऑफ इंडिया के शैक्षिक/प्रशैक्षिक कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के प्रस्तावित राज्य अथवा मण्डल स्तरीय शैक्षिक/प्रशैक्षिक केन्द्रों की स्थापना,विकास आदि कार्य किए जानें हेतु आदेश प्रदान किए जानें सम्बन्ध विषयक विषयांकित पत्र यथा महोदय,सादर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी सी.एम.आर.आदेश संख्या 151571802301 87 दिनांक 29 नवम्बर 2018 के क्रम में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश के आदेश आख्या संख्या 89(जन.)सू.एवंज.सं.वि.(प्रेस)-39/2016,टी.सी. दिनांक 03 जून 2019 के क्रम में निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा बुलेटिन्स ऑफ इंडिया के प्रिन्ट/इलेक्ट्रॉनिक/सोशल/अन्य मीडिया के माध्यम से केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य को कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी शासनादेशों/आदेशों/अन्य के प्रचार/प्रसार हेतु वित्तीय सहयोग प्रदान वित्तीय सहयोग प्रदान किए जानें हेतु प्रशिक्षु पत्रकारिता युक्त बेरोजगार युवाओं को ग्रामीण/न्याय पंचायत स्तर यथा उत्तर प्रदेश राज्य के लगभग @8167 न्याय पंचायत पर रोजगार प्रदान कराए जाने हेतु प्रक्रियाधीन कार्यवाही पश्चात विकसित राष्ट्र स्थापना सहयोग हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 से वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ते हुए क्रम में लगभग @250 करोड़ का ब्याज आधारित विभिन्न माध्यमों से निवेश प्रस्तावित/प्रक्रियाधीन है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया में वर्णित कार्यों आदि के क्रम में भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों में न्याय पंचायत स्तर पर रोजगार सृजन प्रस्तावित है,के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के ग्राम पंचायत स्तरीय उच्च स्वचालित दैनिक ऑडिट युक्त ऑनलाइन निगरानी सहित का कृषक पंजीकरण/प्रशिक्षण/योजना सहभागिता/योजना लाभ आदि का गरीबी से मुक्ति युक्त सशक्त कृषक निर्माण आदि का एनीमेशन एवं ग्राफिक्स आदि के माध्यम से केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा शासकीय/अशासकीय संगठन अथवा निजी संगठन अथवा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से सम्बंधित संगठनों आदि से सम्बंधित विभिन्न सेवा अथवा ब्यवसायिक आदि कार्य सहित विभिन्न मीडिया प्रकाशन प्रस्ताव आदि को अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन के सम्मुख वास्तविक क्रियान्वयन हेतु जिओग्राफिकल कोडेड आदि शाक्ष्य सहित डॉक्युमेंटरी फिल्म दृश्यांकन अथवा विभिन्न मंचों से निजी/शासकीय विज्ञापन सहित प्रकाशन अथवा प्रचार-प्रसार हेतु डॉक्युमेंटरी फिल्म निर्माण कार्य किया जाना प्रस्ताव प्रस्तावित है तत्क्रम में विभिन्न ब्यवसायिक अथवा डिजिटल,सोशल,प्रिंट आदि विभिन्न मीडिया आदि पटल पर कार्य किए हेतु विभिन्न गुणवत्ता युक्त ब्यवसायिक/मीडिया आदि प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी। बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को माध्यमिक शिक्षा अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 824/पन्द्रह-3-2024 दिनाँक 23 दिसम्बर 2024 के क्रम में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना,भारत राष्ट्र के ग्रामीण/शहरी अंचल आदि के बेरोजगार युवाओं/कृषक/जनों हेतु बृहद रोजगार/स्वरोजगार सृजन,लालच विहीन अथवा मुफ्तखोर रहित सशक्त कृषक सशक्त राष्ट्र आदि हेतु केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों आदि द्वारा कार्यवाही/स्वीकृति आदि के तहत विभिन्न शोध/प्रयोग/परीक्षण आदि भौतिक आदि क्रियान्वयन पर्यन्त निष्कर्ष/परिणाम के क्रम में विभिन्न योजनाओं यथा औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम,न्यूनतम समर्थन/अन्य मूल्य योजना,क्लस्टर युक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना/कार्यक्रम,दुग्ध विकास योजना/कार्यक्रम,खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना/कार्यक्रम,शासकीय औद्योगिक विकास योजना/कार्यक्रम,निवेश/विपणन योजना/कार्यक्रम यथा वैश्विक ब्यवस्थान्तर्गत भारत राष्ट्र के प्रतिनिधित्वता युक्त निवेश/विपणन इकाई आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

विकास योजना/कार्यक्रम आदि माध्यम से मुद्रा सशक्तीकरण योजना/कार्यक्रम तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के प्रसंस्करण/प्रबन्धन आदि माध्यम आदि युक्त सकल घरेलू आय विकास योजना/कार्यक्रम आदि का ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत वास्तविक भौतिक सत्यापन युक्त भौतिक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित/प्रचलन में है,के जागरुकता एवं प्रचार-प्रसार आदि कार्यों को क्रियान्वयित किया जाना है। लगभग एक अंतर्राष्ट्रीय साजिस के तहत भारतीय स्तरीय विभिन्न उच्च स्तरीय शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक युक्त ब्यवसायिक आदि निजी आदि समूह जो भारी-भरकम शुल्क वसूलकर बेहद कम वेतन पर शिक्षक/प्रशिक्षक को रखते हुए भारत राष्ट्र के मूल शिक्षा पद्धति को तहस-नहस किए जानें की मंशानुरुप वर्तमान समय में शिक्षा के लगभग व्यवसायीकरण के दृष्टिगत लगभग बच्चों के सृजन के समय प्राथमिक शिक्षा से कक्षा आठ तक जिससे बच्चों में उच्च मानसिक गुणों युक्त मानसिक उत्कृष्ठता सम्पन्न शैक्षिक/प्रशैक्षिक आधार आधारित समय होता है,में चल रहे नकल युक्त मानसिकता युक्त यथा उदाहरण स्वरुप हज़ारों कार्यों के सापेक्ष बच्चों को ऑनलाइन आदि माध्यमों से विभिन्न इमेज आदि को निकालकर शिक्षकों द्वारा इमेज/फोटो को कापियों में चिपकवाकर कार्य कराए जा रहे है जिससे कमजोर शैक्षिक/प्रशैक्षिक आधार से परिपूर्ण कमजोर शैक्षिक/प्रशैक्षिक आधार आधारित प्राथमिक से उच्च शिक्षा युक्त शिक्षित अधिकाधिक शैक्षिक/प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र युक्त अतिकाधिक भारतीय युवा निम्न-स्तरीय गुणवत्ता से परिपूर्ण शोधित/दृष्टिगत हैं। लगभग साजिशन कमजोर शैक्षिक/प्रशैक्षिक आधार से परिपूर्ण कमजोर शैक्षिक/प्रशैक्षिक आधार आधारित प्राथमिक से उच्च शिक्षा युक्त शिक्षित अधिकाधिक शैक्षिक/प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र युक्त निम्न-स्तरीय गुणवत्ता युक्त भारतीय युवाओं हेतु बेहद निम्न स्तरीय शुल्क युक्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य अथवा मण्डल स्तरीय शैक्षिक/प्रशैक्षिक केन्द्रों की स्थापना,विकास आदि कार्य किया जाएगा इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" उद्यम प्रमाण पत्र संख्या UDYAM-UP-50-0023578 द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

परीक्षणोपरांत बिंदुवार विवरण,

बुलेटिन्स ऑफ इंडिया द्वारा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना में भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य का विभिन्न विभागों/मंत्रालयों आदि का योगदान अपेक्षित होगा यथा, "विभिन्न शोध/प्रयोग/परीक्षण" आदि पर विभिन्न विभागों/मंत्रालयों से संबन्धित होगा-: उत्तर प्रदेश राज्य का विभिन्न विभागों/मंत्रालयों आदि का विभिन्न सहयोग अपेक्षित तत्क्रम में सम्बंधित विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना,विकास,क्रियान्वयन आदि माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों को किया जा सकेगा इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" स्थाई खाता संख्या AABCU9240L एवं उद्यम प्रमाण पत्र संख्या UDYAM-UP-50-0023578 द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम के क्रम में मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना में भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कार्यवाही के साथ ही साथ आयुष विभाग/मंत्रालय सहित विभिन्न संबंधित विभागों सहित उत्तर प्रदेश शासन आदि का विभिन्न सहयोग अपेक्षित तत्क्रम में सम्बंधित विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना,विकास,क्रियान्वयन आदि माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों को किया जा सकेगा इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

न्यूनतम समर्थन/अन्य मूल्य योजना के क्रम में मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना में भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि मंत्रालय भारत सरकार एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों सहित उत्तर प्रदेश शासन आदि का विभिन्न सहयोग अपेक्षित तत्क्रम में सम्बंधित विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना,विकास,क्रियान्वयन आदि माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों को किया जा सकेगा इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी

योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

संदर्भित तथ्यों आदि में वर्णित विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु संचालित केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अथवा अन्य राज्य सरकारों के अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अथवा संयुक्त कृषि/कृषक/राष्ट्र/जन हितकारी योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों अथवा संयुक्त योजना/योजनाओं/नीतियाँ/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों आदि में निवेश/वित्त/ऋण/साख आदि से संबंधित बैंकिंग कार्य को भारतीय बैंकिंग द्वारा एवं अन्य बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया एवं अन्य सहभागी समूहों/संगठनों आदि द्वारा संबंधित व्यवसायिक कार्य सहभागिता प्रदान किए जानें का प्रावधान प्रावधानित अथवा प्रस्तावित किया गया है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

क्लस्टर युक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना में भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश राज्य के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग/मंत्रालय भारत सरकार एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न संबंधित विभागों सहित उत्तर प्रदेश शासन आदि का विभिन्न सहयोग अपेक्षित तत्क्रम में सम्बंधित विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना,विकास,क्रियान्वयन आदि माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों को किया जा सकेगा इसके साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत शाखा स्थापना कर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य को कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी शासनादेशों/आदेशों/अन्य का एनीमेशन एवं ग्राफिक्स आदि,विभिन्न सेवा अथवा ब्यवसायिक आदि कार्य,डिजिटल/सोशल/प्रिंट/इलेक्ट्रानिक/अन्य मीडिया,ग्रामीण/शहरी अंचल आदि हेतु,औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम,न्यूनतम समर्थन/अन्य मूल्य योजना,क्लस्टर युक्त एक जनपद एक उत्पाद योजना/कार्यक्रम,दुग्ध विकास योजना/कार्यक्रम,खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना/कार्यक्रम,शासकीय औद्योगिक विकास योजना/कार्यक्रम,निवेश/विपणन योजना/कार्यक्रम यथा वैश्विक ब्यवस्थान्तर्गत भारत राष्ट्र के प्रतिनिधित्वता युक्त निवेश/विपणन इकाई आदि विकास योजना/कार्यक्रम आदि माध्यम से मुद्रा सशक्तीकरण योजना/कार्यक्रम तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के प्रसंस्करण/प्रबन्धन आदि माध्यम आदि युक्त सकल घरेलू आय विकास योजना/कार्यक्रम आदि,बैंकिंग,बीमा आदि का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के क्रम में मा.प्रधानमन्त्री जी भारत सरकार द्वारा विकसित राष्ट्र स्थापना में भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों के सापेक्ष सम्बंधित विषयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम हेतु विश्वविद्यालय की स्थापना कर उससे मण्डल स्तरीय महाविद्यालय/अन्य शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक संस्थानों की स्थापना,विकास,क्रियान्वयन आदि माध्यम से विभिन्न शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के साथ ही साथ प्रबन्धन/प्रशासन आदि के विभिन्न रोजगार/स्वरोजगार-परक पाठ्यक्रम को शामिल करते हुए .....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न पाठ्यक्रम सहित क्रियान्वयन किया जाना श्रेयस्कर होगा इसके साथ ही साथ उपरोक्त संदर्भित तथ्यों के आलोक में अन्य मंत्रालयीन आदि सहयोग से विभागीय कार्य के साथ ही साथ बुलेटिन्स ऑफ इंडिया को केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान निधि/मुद्रा संग्रह इकाई हेतु,मीडिया इकाई,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक सहायक इकाई आदि शासकीय कार्यों हेतु अपने अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम के रुप में इकाई स्थापित किया जाना श्रेयस्कर होगा, आदि आख्या पर केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को आंशिक रुप से अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम के रुप में नामित/प्रस्तावित किया गया है। संस्थागत प्रस्तावित प्रस्ताव आदि के क्रम में संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्य अथवा अनुबन्ध आधारित निवेश प्रावधान अनुमन्य होगा हेतु वैश्विक स्तरीय संस्थागत इकाइयों सहित भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों हेतु समस्त व्यापारिक निवेश गतिविधियों आदि को भारतीय रुपए में अनुमन्यता युक्त ब्यापारिक आदि निवेश गतिविधियां अनिवार्यता सहित समयानुकूलीय परिवर्तनों पर आधारित होने के साथ ही साथ दैवीय आपदा /घटना/दुर्घटना आदि पर संस्थागत नियमों में निवेश पुनर्भुगतान नियमों में पूर्ति/प्रतिपूर्ति आदि हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा लिये गए निर्णय सर्वोपरि अथवा सर्वमान्य होंगे,आदि का भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विपणन आदि इकाई हेतु बढ़ते हुए क्रम में योजनाओं आदि पर आने वाले अनुमानित लागत/व्यय अथवा प्रस्तावित निवेश धनराशि का विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित भारतीय रुपए में प्राप्त निवेश धनराशि को निवेश धनराशि मान्य होगा आदि को केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान की योजनाओं आदि में निवेश कार्यक्रम के तहत संस्थागत घरेलू निवेश नियमों में सामान्य भारतीय जनों,भारतीय निजी समूहों आदि,न्यासों आदि,गैर सरकारी संस्थाओं,सहकारी समितियों आदि हेतु स्वतन्त्र रुप से घरेलू निवेश किए जानें हेतु अनुमन्य होंगे इसके साथ ही साथ संस्थागत विदेशी निवेश नियमों के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा से परिवर्तित प्राप्त भारतीय मुद्रा अथवा.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

अथवा निधि को निवेश धनराशि अनुमन्यता के तहत वैश्विक स्तरीय विभिन्न ज्ञात श्रोतों के माध्यमों से अनुबंध आधारित मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति (ACCEPTANCE OF FUND) आदि की कार्यवाही के क्रम में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" के समन्वयन सहित बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को स्वतन्त्र रुप से कार्यरत संयुक्त उद्यम के रुप में विदेशी मुद्रा से परिवर्तित प्राप्त भारतीय मुद्रा अथवा निधि को निवेश धनराशि अनुमन्यता के तहत वैश्विक स्तरीय विभिन्न ज्ञात श्रोतों के माध्यमों से अनुबंध आधारित मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति(ACCEPTANCE OF FUND) समतुल्य मूल्य पर प्राप्त किए जानें हेतु प्रावधानित करते हुए केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत समन्वयन सहित बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को स्वतंत्र रुप से संयुक्त उद्यम के रुप में संस्थागत स्वीकृति के क्रम में घरेलू/विदेशी निवेशों पर समय-समय पर परिवर्तनीय कमीशन/पारिश्रमिक/अन्य अथवा अनुबन्ध आधारित आदि के तहत समतुल्य देयता पर अनुबंध आधारित मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति(ACCEPTANCE OF FUND) समतुल्य मूल्य पर बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के निधि/मुद्रा/अस्ति आदि इकाई को निधि/मुद्रा/अस्ति आदि को प्राप्त किए जानें हेतु एजेंसी के रुप में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा नामित किया जाता है। बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया द्वारा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा केन्द्र सरकार/उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य अन्य राज्य सरकारों अथवा विभिन्न विभागों/मंत्रालयों अथवा विभिन्न निजी अथवा शासकीय समूहों अथवा विभिन्न शासकीय समूहों अथवा शासकीय/निजी समूहों अथवा न्यासों,सहकारी आदि समूह/संगठन आदि के जागरुकता,प्रचार-प्रसार सहित राष्ट्रीय वर्गीकृत कोड के अन्तर्गत विभिन्न ब्यवसायिक आदि कार्य,निधि/मुद्रा संग्रह इकाई आदि कार्यों अथवा अन्य कार्यों आदि के साथ ही साथ केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के सहयोग से बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के संयुक्त आर.जे.टी.मास कम्युनिकेशन ग्रुप अथवा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के सहयोगी आदि समूह द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में नई शिक्षा नीति के तहत विभिन्न विषयों यथा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त साहित्यिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त प्राविधिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त विज्ञान शिक्षा आदि, शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त विधिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त सुरक्षा अथवा संबन्धित विषयों.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

आदि शिक्षा आदि,शैक्षणिक अथवा प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त प्रबन्धकीय शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त प्रशासनिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त प्रायोगिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त सूचना एवं प्रौद्योगिकी आदि शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त शासकीय आदि शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त कृषि शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त कृषि एवं अनुसंधानिक शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त राजस्व/वित्त/अर्थव्यवस्था आदि से संबन्धित शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त स्वास्थ्य से संबन्धित शिक्षा आदि,शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक उपरान्त रोजगार अथवा स्वरोजगार युक्त भ्रष्टाचार पर विभिन्न विषयों पर शिक्षा अथवा अन्य शिक्षा हेतु विभिन्न भ्रामक शिक्षा रहित पारम्परिक भारतीय शिक्षा पद्धति को अपनाते हुए वैश्विक स्तर पर भारतीय युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार परक शैक्षणिक कार्यक्रमों के क्रम में विभिन्न विषयों युक्त विश्वविद्यालय की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि अथवा उसके उपरान्त मण्डल/जनपद स्तरीय महाविद्यालयों/विद्यालयों की स्थापना,निर्माण,क्रियान्वयन आदि की कार्यवाही को प्रस्तावित करते हुए केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को उक्तानुक्रम में दिनांक 17.01.2025 में श्रीमान निदेशक,केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा जारी आदेश यथा "माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3,उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या:824/पन्द्रह-3-2024 दिनाँक 23 दिसम्बर 2024 एवं माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 109/पन्द्रह-3- 2025 दिनाँक 03 मार्च 2025 के अनुपालन में अथवा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी अन्य आदेशों अथवा कार्यवाहियों पर परीक्षणोपरांत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया को विभिन्न ब्यवसायिक कार्यों युक्त निधि/मुद्रा संग्रह इकाई हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त कृषक/कृषि/जन/राष्ट्र/अन्य हितोपयोगी योजना/योजनाओं/परियोजना/परियोजनाओं/नीतियों/अन्य के वित्तीय अथवा राजस्व अथवा बैंकिंग साखीय,ऋण आदि सेवाओं अथवा सेवा आदि अंश हेतु अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम "भारतीय बैंकिंग" द्वारा भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों अथवा केंद्रशासित प्रदेशों आदि के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में ज़ीरो करप्सन बेस्ड पालिसी के तहत बाधारहित बैंकिंग सेवाओं को निर्बाध रुप से विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु नान-एन.पी.ए.कृषक अथवा जन बैंकिंग गारण्टी स्कीम के तहत समन्वयन सहित जागरुकता,प्रचार-प्रसार अथवा समय-समय पर जारी विभिन्न कार्यों हेतु संस्थागत आदेशों के क्रम में स्वतन्त्र रुप से संयुक्त उद्यम (JOINT VENTURE) नामित करती है। बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया द्वारा अपने कार्यों को करते हुए केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करेगी" के क्रम में आंशिक रुप से अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम के रुप में नामित/प्रस्तावित/अधिकृत है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान के निधि/मुद्रा प्राप्ति एजेंसी गठन/नामांकन आदि,वित्त/मुद्रा आहरण/वितरण एजेंसी गठन/नामांकन आदि एवं निवेश अनुबन्ध के तहत कमीशन प्राप्ति समूह का नामांकन सहित मूल निवेश प्रतिनिधियों आदि का नामांकन,निवेश प्राप्ति एवं उसके उपयोग एवं निवेश भुगतान एवं पुनर्भुगतान से संबन्धित शर्तों आदि के संबंध में अनुबन्ध को पारित किया जाता जाता है,

01. यह कि विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित भारत के ग्रामीण/शहरी क्षेत्र के शिक्षित आदि बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार कार्यक्रम अथवा भारतीय कृषकों के एक सीमा से अधिक ग्रामीण से शहरी पलायन आदि के नियंत्रण हेतु कृषको एवं अन्य जनों हेतु शहरी सहित ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम,सशक्त कृषक-सशक्त राष्ट्र कार्यक्रम आदि,लालच विहीन अथवा मुफ्तखोर रहित प्रथा विकास/क्रियान्वयन आदि हेतु विकसित राष्ट्र की स्थापना के उद्देश्य से केन्द्र/उत्तर प्रदेश राज्य सरकार आदि के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों आदि की कार्यवाहियां/अनापत्तियां/प्रस्ताव उपयोगिता सहित संस्थागत प्रस्तावित प्रस्ताव आदि के अनुमोदनोपरान्त प्रस्तावित प्रस्ताव के अन्तर्गत विभिन्न शोध/प्रयोग/परीक्षण आदि पर्यन्त प्राप्त निष्कर्ष/परिणाम के क्रम में केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित औषधीय कृषि उत्पाद योजना/कार्यक्रम,न्यूनतम समर्थन मूल्य अथवा अन्य समर्थन मूल्य योजना/कार्यक्रम, एक जनपद एक उत्पाद योजना/क्लस्टर विकास योजना/कार्यक्रम क्रियान्वयन आदि योजना/कार्यक्रम,गौ संरक्षण/संवर्धन/सुरक्षा विकास योजना/कार्यक्रम क्रियान्वयन आदि के क्रम में डेयरी अथवा दुग्ध एवं पशुधन विकास आदि योजना/कार्यक्रम,खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना/कार्यक्रम क्रियान्वयन आदि योजना/कार्यक्रम, बैंकिंग स्थापना अथवा प्रबन्धन अथवा विकास आदि योजना/कार्यक्रम, राजकीय/शासकीय औद्योगिक विकास योजना/कार्यक्रम, बीमा प्रबन्धन अथवा विकास आदि योजना/कार्यक्रम,निवेश अथवा विपणन योजना/कार्यक्रम,गैर निष्पादन परिसंपत्ति अथवा परिसंपत्तियां आदि कार्यक्रम/योजना आदि का शून्य भ्रष्टाचार आधारित नीति के अन्तर्गत वास्तविक भौतिक सत्यापन युक्त क्रियान्वयन पश्चात/पर्यन्त मौद्रिक सशक्तीकरण योजना/कार्यक्रम का भौतिक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तत्पश्चात सकल घरेलू उत्पाद के प्रसंस्करण अथवा प्रबन्धन आदि के साथ सकल घरेलू आय विकास योजना/कार्यक्रम आदि के वास्तविक भौतिक सत्यापन युक्त उच्च गुणवत्ता पूर्ण वैश्विक स्तरीय मानकों के तहत क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रम में संस्थागत नई शिक्षा नीति के तहत संस्थागत विभिन्न पदों के अनुरुप यथा पूर्ण परियोजना आख्या हेतु अनुपूरक परियोजना आख्या में वर्णित इक्कीस लाख अथवा अधिक प्रस्तावित विभिन्न पदों के सापेक्ष लगभग एक लाख पचास हजार पदों के क्रम में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन आदेश संख्या 21-10/2023-टी.एस.वी दिनांक 05 अक्टूबर 2023 के तहत लगभग अट्ठानबे हजार विभिन्न पदों का शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक कार्यक्रम के अन्तर्गत वैश्विक स्तर के विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों हेतु उच्च कार्य अथवा सेवा गुणवत्तापूर्ण निर्णय क्षमता युक्त,लालच विहीन,उच्च गुणों युक्त कर्तव्यनिष्ठ,भ्रष्टाचार रहित सेवकों आदि.....

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

के सृजन हेतु भारत के राष्ट्रीय स्तर पर समस्त राज्यों हेतु उत्तर प्रदेश राज्य के शासनादेश संख्या: 726/15-3-2024 दिनांक 05 नवम्बर 2024 के तहत संस्थागत प्रस्तावित प्रस्ताव आदि के क्रम में संस्थागत योजनाओं आदि के भ्रष्टाचार रहित वास्तविक भौतिक क्रियान्वयन हेतु लगभग @5,25,000.00 (पाँच लाख पच्चीस हजार करोड़ भारतीय रुपये) का बढ़ते हुए क्रम में केन्द्र/राज्य सरकार अथवा सरकारों के प्रस्तावित/प्रावधानित/संरक्षित बजटीय व्यवस्था अथवा संस्थागत योजनाओं आदि के बाधारहित सफल क्रियान्वयन हेतु स्वतन्त्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश प्रावधानों के अन्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान अथवा संस्थागत अधिकृत निगमों,निजी/शासकीय समूहों,गैर शासकीय/सरकारी समूहों,विभिन्न संस्थाओं,सहकारी समितियों,न्यासों आदि अथवा सामान्य भारतीय जनों हेतु प्रस्तावित निवेश धनराशि में समयानुकूलीय परिवर्तनीय घरेलू निवेश पर @8.00% नियमानुसार ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्यता सहित विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत अनुमन्य अथवा अनुबन्ध आधारित निवेश प्रावधान अनुमन्य होगा हेतु वैश्विक स्तरीय संस्थागत इकाइयों सहित भारत राष्ट्र के समस्त राज्यों हेतु समस्त व्यापारिक निवेश गतिविधियों आदि को भारतीय रुपए में अनुमन्यता युक्त ब्यापारिक आदि निवेश गतिविधियां अनिवार्यता सहित समयानुकूलीय परिवर्तनों पर आधारित होने के साथ ही साथ दैवीय आपदा /घटना/दुर्घटना आदि पर संस्थागत नियमों में निवेश पुनर्भुगतान नियमों में पूर्ति/प्रतिपूर्ति आदि हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा लिये गए निर्णय सर्वोपरि अथवा सर्वमान्य होंगे,आदि का भारत राष्ट्र के प्रत्येक राज्यों सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय विपणन आदि इकाई हेतु बढ़ते हुए क्रम में योजनाओं आदि पर आने वाले अनुमानित लागत/व्यय अथवा प्रस्तावित निवेश धनराशि का विदेशी मुद्रा से भारतीय मुद्रा में परिवर्तित भारतीय रुपए में प्राप्त निवेश धनराशि को निवेश धनराशि मान्य होगा,आदि में प्रस्तावित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में विदेशी निवेश जिस पर @3.59% वार्षिक ब्याज ब्यवस्थान्तर्गत इक्विटी/शेयर अथवा हिस्सेदारी अथवा अस्ति हिस्सेदारी आदि रहित निवेश प्रावधानों के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में निवेश भुगतान अवधि हेतु जिस पर वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को माननीय राज्यपाल महोदय के अनुमोदनोपरांत निवेश अनुबन्ध संख्या 24/HRTI/0000027658 के क्रम में निवेश धनराशि 14914.75 करोड़ रुपये (पूर्णांक में 15000 करोड़ भारतीय रुपये) का प्रारम्भिक निवेश करते हुए विगत छह वर्षों तक @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का निवेश निर्बाध रुप से विदेशी निवेश को अनुमति प्रदान गई है एवं अंतरण आदि कार्यवाही प्रचलित है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(क) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि का उपयोग केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा संचालित योजना/परियोजना/नीतियों आदि में स्वतन्त्र रुप से करेगा।

(ख) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को प्राप्ति/अंतरण हेतु माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 176/पन्द्रह-3-2024 दिनाँक 21 अप्रैल 2025 के क्रम में वैश्विक स्तरीय विभिन्न ज्ञात श्रोतों के माध्यमों से अनुबंध आधारित मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति(ACCEPTANCE OF FUND) समतुल्य मूल्य पर प्राप्त किए जानें हेतु प्रावधानित करते हुए केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वित्तीय सहयोगी/अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम भारतीय बैंकिंग द्वारा वित्तीय समन्वय सहित निधि/मुद्रा प्राप्ति स्वीकृति सहित अंतरण हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के साथ ही साथ बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के माध्यम से कराया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(ग) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को प्राप्ति/अंतरण हेतु माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 176/पन्द्रह-3-2024 दिनाँक 21 अप्रैल 2025 के क्रम में वैश्विक स्तरीय विभिन्न ज्ञात श्रोतों के माध्यमों से अनुबंध आधारित मुद्रा/निधि प्राप्ति स्वीकृति(ACCEPTANCE OF FUND) समतुल्य मूल्य पर प्राप्त किए जानें हेतु प्रावधानित करते हुए केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वित्तीय सहयोगी/अनुसंगी अथवा संयुक्त उद्यम भारतीय बैंकिंग द्वारा वित्तीय समन्वयन सहित निधि/मुद्रा प्राप्ति स्वीकृति सहित अंतरण हेतु बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के खाते से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के खाते में अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा अधिकृत खाते अथवा खातों में कराए गए निधि/मुद्रा प्राप्ति अथवा अंतरण आदि पर्यन्त प्राप्त किए गए निधि/मुद्रा का प्राप्ति रसीद केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाएगा।

(घ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि पर कमीशन आदि का अंतरण केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा अथवा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अधिकृत प्राधिकार अथवा प्राधिकारी द्वारा किया अथवा कराया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(ङ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के संस्थागत निवेश नियमों में आच्छादित समस्त निधि/मुद्रा ज्ञात श्रोत का होगा। ज्ञात श्रोतों आदि से प्राप्त घरेलू/विदेशी निवेश का उपयोग केवल विकसित राष्ट्र स्थापना लक्ष्यों की पूर्ति/सम्पूर्ति हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा स्वयं अथवा वित्तपोषित संस्थाओं के माध्यम से पूर्ण किया जाएगा।

(च) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में प्राप्त ब्याज सहित भारतीय रुपए के मूल धनराशि पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित विदेशी निधि/मुद्रा का तय समय पर अनुबन्ध आधारित को भुगतान अथवा पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(छ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में प्राप्त ब्याज सहित भारतीय रुपए के मूल धनराशि पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित विदेशी निधि/मुद्रा का केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के उक्त पृष्ठांकित संदर्भगत कार्ययोजना आदि में स्वतंत्र रुप से केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान उपयोग किया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(ज) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध(लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में प्राप्त ब्याज सहित भारतीय रुपए के मूल धनराशि पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित विदेशी निधि/मुद्रा का तय समय पर निवेशक को व्यक्तिगत तौर पर निवेश सलाहकार के रुप में मनोनयन पश्चात अन्य निवेश प्रतिनिधि के मनोनयन अथवा नामांकन हेतु समस्त उत्तरदायित्वता अथवा जिम्मेदारी आदि सहित संस्तुति पश्चात निवेश प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों के मनोनयन अथवा नामांकन पर जीरो करप्शन बेस्ड पालिसी के तहत एक सीमान्तर्गत विचार किया जा सकेगा,पर आवश्यक प्रशासनिक, सचिवीय, लिपिकीय एवं अन्य कार्मिक या आवश्यक सहायता,यात्रा भत्ता,अन्य भत्ते अथवा अन्य विधिक अथवा अन्य ब्यय आदि अथवा आवश्यक ब्यय समय-समय पर अनुबन्ध आधारित होगा।

(झ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में प्राप्त ब्याज सहित भारतीय रुपए के मूल धनराशि पर विदेशी मुद्रा में परिवर्तित विदेशी निधि/मुद्रा का तय समय पर विदेशी निवेशक द्वारा अन्य निवेश प्रतिनिधि मनोनयन अथवा नामांकनसंस्तुति को केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान में मनोनयन अथवा नामांकन हेतु समस्त उत्तरदायित्वता अथवा जिम्मेदारी आदि सहित संस्तुति पश्चात ब्यसन रहित निवेश प्रतिनिधि अथवा प्रतिनिधियों के मनोनयन अथवा नामांकन पर जीरो करप्शन बेस्ड पालिसी के तहत एक सीमान्तर्गत केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा विचार किया जा सकेगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(ञ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी/घरेलू निवेश के सापेक्ष भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध(लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में ब्याज युक्त भुगतान को संबंधित विदेशी समूह के खाते अथवा प्रोफार्मा मांग प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न परीक्षणोपरांत वैध खाते अथवा खाताओं में निर्धारित समय में कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ट) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि के मामले/मामलों में अनुबंधित अथवा तय समय सीमा में संस्थागत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शुद्ध आय अथवा संस्थागत प्रत्यक्ष/परोक्ष रुप से सृजित/अर्जित अस्ति आदि से प्राप्त आय अथवा संस्थागत प्रत्यक्ष/परोक्ष रुप से सृजित/अर्जित परिसम्पत्ति/परिसम्पत्तियों आदि से प्राप्त आय अथवा सीधे अस्ति/परिसम्पत्ति/परिसम्पत्तियों आदि के माध्यम से प्राप्त आय आदि माध्यम निवेशक अथवा निवेशकों आदि को भुगतान अथवा पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(ठ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष विदेशी निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों हेतु निवेश की सहमति प्रदान की गई है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(ञ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का विदेशी/घरेलू निवेश के सापेक्ष भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध(लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों में ब्याज युक्त भुगतान को संबंधित विदेशी समूह के खाते अथवा प्रोफार्मा मांग प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न परीक्षणोपरांत वैध खाते अथवा खाताओं में निर्धारित समय में कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ट) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि के मामले/मामलों में अनुबंधित अथवा तय समय सीमा में संस्थागत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शुद्ध आय अथवा संस्थागत प्रत्यक्ष/परोक्ष रुप से सृजित/अर्जित अस्ति आदि से प्राप्त आय अथवा संस्थागत प्रत्यक्ष/परोक्ष रुप से सृजित/अर्जित परिसम्पत्ति/परिसम्पत्तियों आदि से प्राप्त आय अथवा सीधे अस्ति/परिसम्पत्ति/परिसम्पत्तियों आदि के माध्यम से प्राप्त आय आदि माध्यम निवेशक अथवा निवेशकों आदि को भुगतान अथवा पुनर्भुगतान किया जाएगा।

(ठ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष विदेशी निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों हेतु निवेश की सहमति प्रदान की गई है।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

त) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष विदेशी निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों हेतु निवेश हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के आच्छादित निवेश नियमों के अंतर्गत कमीशन एजेंट अथवा निवेश सलाहकार के रुप में कार्य किए जानें हेतु आवश्यकतानुसार कार्यवाही पूर्ण की जाएगी।

(थ) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों हेतु निवेश आवश्यकतानुसार केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के विभिन्न अनापत्तियाँ आदि के माँग पर हेतु मनोनयन अथवा नामांकन प्रदान कराए जानें हेतु संस्थागत मांग पर शाक्ष्य आदि उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com

तत्क्रम निम्न नियम एवं शर्तें लागू होगा,

(द) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष विदेशी निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों की निवेश अनुमन्यता हेतु अधिकृत समूह आदि को कमीशन देयता केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा सीधे अथवा बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया के खाते आदि के माध्यम से निवेश प्राप्ति से न्यूनतम पांच कार्य दिवसों सीधे को टी.डी.एस. कटौती पश्चात अंतरित कराया जाना अनिवार्य होगा।

(ध) यह कि केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान द्वारा प्रस्तावित अथवा प्रावधानित घरेलू/विदेशी निवेश कार्यक्रमों आदि में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 से छह वर्षों अथवा अन्य अवधि तक में @5,25,000 करोड़ रुपये (पांच लाख पच्चीस हजार करोड़ रुपये) का घरेलू/विदेशी निवेश आदि निवेश के सापेक्ष निवेशक द्वारा निवेश की भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि की अनुमन्यता सहित दस वर्षों हेतु निकाशी निषेध (लॉक-इन) अवधि युक्त विदेशी निधि/मुद्रा से समस्त कटौती पश्चात प्राप्त भारतीय मुद्रा को मूल निवेशित धनराशि को निवेश प्राप्ति दिनांक से पन्द्रह वर्षों की निवेश अनुमन्यता हेतु टी.डी.एस. कटौती पश्चात अंतरित कराया जाना अनिवार्य होगा। बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया द्वारा केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के अनुमोदनोपरांत प्रति भाग मांग अथवा उसके भाग के समतुल्य मूल्य युक्त कमीशन को टी.डी.एस. कटौती पश्चात भुगतान सीधे अंतरित करा दिया जाएगा।

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से: बुलेटिन्स ऑफ़ इंडिया https://bulletinsofindia.com





उद्देश्य



आइए, मिलकर करें निर्माण :
'विकसित भारत'

केंद्रीय कृषि विकास संस्थान

अधिक जानकारी हेतु केन्द्रीय कृषि विकास संस्थान के वेब पेज; https://www.cagdi.in पर विजिट करें।

सौजन्य से : -
बुलेटिन्स ऑफ इंडिया

NOTE:- The plans or projects or policies of the Central Agricultural Development Institution will be subject to change from time to time on the basis of geographical or seasonal or other changes to establish India as an internationally developed nation. Central Agricultural Development Institution has all rights reserved.